"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 नवम्बर, 2002—कार्तिक 10, शक 1924

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

# भाग १

## राज्य शासन के आदेश

### सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2002

क्रमांक 2554/2138/साप्रवि/2002/1/2/लीव.—श्री बी. के. एस. रे. प्रमुख सचिव, राजस्व को दिनांक 8-10-2002 से 14-10-2002 (सात दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 15-10-2002 को सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. श्री बी. के. एस. रे, के अवकाश काल में अवकाश वेतन व भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पूर्व मिलते थे.

3. श्री रे, को अवकाश से लौटने पर प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पुनः पदस्थ किया जाता है.



नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.

5. श्री बी. के. एस. रे, प्रमुख सचिव, राजस्व के अवकाश काल में श्री एम. के. राऊत, सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ प्रमुख सचिव, राजस्व का कार्य भी संपादित करेंगे.

रायपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2002

क्रमांक 2998/2184/2002/2/एक /लीव.—श्री बी. के. एस. रे, प्रमुख सचिव, छ. ग. शासन, राजस्व विभाग को इस विभाग के आदेश क्रमांक 2553/2138/साप्रवि/2002/1/2/लीव, दिनांक 4-10-2002 द्वारा दिनांक 8-10-2002 से 14-10-2002 (सात दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है. तद्नुसार संशोधन करते हुए श्री बी. के. एस. रे, को दिनांक 8-10-2002 से 11-10-2002 (चार दिवस) तंक अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 12, 13, 14, 15-10-2002 को सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. इस विभाग के आदेश दिनांक 4-10-2002 के कालम 2 से 5 तक में उल्लेखित शर्तें यथावत रहेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**विभा चौधरी,** अवर सचिव.

---

रायपुर, दिनांक 10 अक्टूबर 2002

क्रमांक एफ 9-4/2001/1-3.—सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक 824/साप्रवि/आ.प्र./एक दिनांक 14-2-2001 अनुसूचित जातियों, जनजातियों के उम्मीदवारों के लिये जाति प्रमाण-पत्र एवं आय प्रमाण पत्रों की जांच करने के लिये छानबीन समिति का गठन किया गया है के सरल क्रमांक 2 में संशोधन करते हुये अपर संचालक अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण के स्थान पर आयुक्त, आदिमजाति एवं अनुसूचित विकास विभाग को छानबीन समिति का सदस्य/सचिव नियुक्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**पी. सी. सूर्य,** उप-सचिव.

## गृह (पुलिस) विभाग
### मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 अक्टूबर 2002

क्रमांक एफ 3-1/दो/गृह/2002.—राज्य शासन द्वारा शासनादेश क्रमांक 3-145/गृह/02 दिनांक 28-6-2002 से जिला कांकेर के चौकी कोड़ेकुर्सी को थाने में उन्नयन कर पृथक् से बल स्वीकृत किया गया है. अत: पूर्व में चौकी कोड़ेकुर्सी में स्वीकृत बल 1 प्रधान आरक्षक, 4 आरक्षक को ओड़गी जिला सरगुजा में स्थानांतरित कर नया थाना ओड़गी की स्वीकृति प्रदान किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**वाय. के. एस. ठाकुर,** विशेष सचिव.

---

## गृह (सामान्य) विभाग
### मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2002

क्रमांक एफ 9-76/2002.—सामान्य प्रशासन एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 24 जुलाई 2002 को प्रश्न-पत्र "सिविल विधि तथा प्रक्रिया" (पुस्तकों सहित केवल अधिनियम) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

| अनु. (1) | परीक्षार्थी का नाम (2) | पदनाम (3) |
|---|---|---|
| | **सश्रेय** | |
| | **बिलासपुर-संभाग** | |
| 1. | कुमारी शहला निगार | सहायक कलेक्टर |
| | **निम्न-स्तर** | |
| | **रायपुर-संभाग** | |
| 1. | श्री तुलाराम पाल | राजस्व निरीक्षक |
| 2. | श्री कृपाराम सिन्हा | राजस्व निरीक्षक |

रायपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2002

क्रमांक एफ 9-59/गृह/2002.—पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिए राज्य शासन द्वारा नियम विभागीय परीक्षा जो दिनांक 22 जुलाई 2002 को प्रश्न-पत्र "पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया" (पुस्तकों सहित टिप्पणी रहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

| अनु. (1) | परीक्षार्थी का नाम (2) | पदनाम (3) |
|---|---|---|
| | **उच्च स्तर** | |
| | **बिलासपुर-संभाग** | |
| 1. | श्रीमती रूपाली बोस (श्रीवास्तव) | उप पंजीयक (परि.) |

रायपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2002

क्रमांक एफ 9-73/2002.—वन विभाग के वन क्षेत्रपालों के लिए राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 24 जुलाई 2002 को प्रश्न-पत्र "प्रक्रिया-प्रश्न-पत्र-1" (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

| अनु. (1) | परीक्षार्थी का नाम (2) | पदनाम (3) |
|---|---|---|
| | **रायपुर-संभाग** | |
| 1. | श्री उमेश कुमार सिंह | वन क्षेत्रपाल |
| | **बिलासपुर संभाग** | |
| 1. | श्री शैलेश कुमार बघेल | वन क्षेत्रपाल |
| 2. | श्री जे. आर. धुर्वे | वन क्षेत्रपाल |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**निरंजन दास**, अवर सचिव.

## उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
### मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2002

क्रमांक एफ-73/11/02/उ.शि./38.—राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा सेवा नियम, 2002 के उपनियम-3 में "ग" के पश्चात् निम्नलिखित शब्द स्थापित करता है.

(घ) कलेक्टर द्वारा मनोनीत अधिकारी-सदस्य

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**एस. पी. त्रिवेदी,** सचिव.

## ऊर्जा विभाग
### मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2002

**विषय :** भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित कवर्धा को भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 (9 सन् 1910) की धारा 28 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति.

क्रमांक 3860/अधि.सू./ऊ.वि./2002.—भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 (9 सन् 1910) की धारा 28 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल से परामर्श करने के पश्चात् भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित कवर्धा, जिला कवर्धा (जो इसमें इसके पश्चात् स्वीकृत धारा के नाम से निर्दिष्ट है) को, निक्षिप्त मानचित्र पर उस स्थान को छोड़कर जहां पर की छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल स्वीकृति के दिनांक को अपने उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय कर रहा है या प्रदाय करने के लिये अनुबंधित है या अपने स्वयं के प्रयोजनों के लिये उसका उपयोग कर रहा है लाल रंग की रेखा द्वारा अवृत्त क्षेत्र में विद्युत ऊर्जा का प्रदाय करने के कारोबार में (स्वयं को) लगाने की स्वीकृति, उक्त अधिनियम तथा उसके अधीन तत्समय प्रवृत्त नियमों के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए तथा इससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों तथा उसके ऐसे उपांतरणों और ऐसी अन्य शर्तों एवं निर्बन्धनों के, जो राज्य सरकार द्वारा समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं, अध्यधीन रहते हुए, प्रदान करती है.

## अनुसूची

1. इस स्वीकृति में के विभिन्न शब्दों, पदों तथा अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों में उनके लिये दिए गए हैं. परन्तु इस स्वीकृति में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "निक्षिप्त मानचित्र" से अभिप्रेत उस रेंखांक से है जो राज्य सरकार के पास निक्षिप्त किया गया है तथा पहचान के प्रयोजन के लिये जिस पर स्वीकृति धारक और राज्य सरकार के ऊर्जा विभाग के संयुक्त सचिव द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं और जिसको दूसरी प्रति स्वीकृति धारक को दे दी गई है.

## स्वीकृति की अवधि

2. यह स्वीकृति शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के दिनांक से पांच वर्ष की कालावधि के लिये प्रवृत्त रहेगी. स्वीकृति धारक के आवेदन-पत्र पर स्वीकृति का नवीनीकरण ऐसी कालावधियों के लिये तथा ऐसे निबंधनों तथा शर्तों के अधीन जिन्हें राज्य सरकार मण्डल से परामर्श करने के पश्चात् उचित समझे, उपरोक्त कालावधि के समाप्त होने के पूर्व किया जा सकेगा और स्वीकृति धारक अगली स्वीकृति के लिये समय रहते आवेदन करेगा.

3. इस स्वीकृति द्वारा प्राधिकृत प्रदाय, प्रदाय क्षेत्र में स्वीकृति धारक के रहने वाले कर्मचारियों को प्रकाश, पंखों तथा अन्य घरेलू विद्युत साचित्रों के लिये ऊर्जा का प्रदाय करने के प्रयोजन के लिये होगा.

परन्तु इस स्वीकृति की शर्त (5) के अध्यधीन रहते हुए स्वीकृति धारक अपने कर्मचारियों से भिन्न उन व्यक्तियों को भी प्रदाय कर सकेगा जो उसके प्रदाय के क्षेत्र में हो.

4. इस स्वीकृति के अनुसरण में उपभोक्ताओं को प्रदाय करने की पद्धति निम्नानुसार होगी :—

(एक) थ्री फेज फोर वायर तरीके से फेजेज के बीच 400 वोल्ट से अनधिक दबाव पर तथा फेजेज और न्यूट्रल के बीच 230 वोल्ट से अनधिक दबाव पर अल्टरनेटिंग करंट प्रदाय, जबकि न्यूट्रल कंडक्टर संबंधित 11 के. व्ही./400 वोल्टस ट्रांसफार्मर सबस्टेशनों पर भूमि से सयोजित हो.

परन्तु फिर भी स्वीकृति धारक प्रदाय के क्षेत्र में अपनी हाईटेंशन डिस्ट्रिब्यूशन लाइनें फेजेज के बीच 11,000 वोल्ट से अनधिक दबाव पर 11,000 वोल्ट अल्टरनेटिंग करंट 3 फेज 50 साइकल्स प्रति सेकेण्ड के तरीके को अपना कर बिछा सकेगा.

परन्तु सदैव यह कि स्वीकृति धारक राज्य सरकार को लिखित पूर्व मंजूरी से तथा ऐसी मर्यादाओं तथा शर्तों के, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा लिखित में विहित की जाय, अध्यधीन रहते हुए इस प्रदाय के प्रयोजन के लिए समय-समय पर वितरण का कोई अन्य तरीका पूर्णतः या अंशतः अपना सकेगा.

(दो) फीडर्स, वितरक मुख्य तार (डिस्ट्रीब्यूटिंग मेंस) तथा सर्विस लाइनें पूर्णतः या अंशतः आकाशी या भूमिगत हो सकेंगी और उनका परि-निर्माण, सनिर्माण तथा अनुरक्षण स्वीकृति धारक द्वारा उक्त अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के सर्वथा अनुरूप किया जाएगा.

5. प्रदाय क्षेत्र के भीतर ऊर्जा का वितरण, प्रथमतः स्वीकृति धारक के कर्मचारियों के लिए होगा. स्वीकृति धार के कर्मचारियों से भिन्न व्यक्तियों को प्रदाय की जाने वाली ऊर्जा केवल ऐसे व्यक्तियों को प्रदाय की जाएगी जो स्वीकृति धारक के स्वामित्व के आवासी, वाणिज्यिक तथा सेवा भवनों में ऊर्जा का उपयोग करते हों और जिन्हें स्वीकृति धारक के कर्मचारियों के लिए आवश्यक सेवाओं जैसे वाणिज्यिक दुकानों, रेस्टोरेंट तथा जनहित की सेवायें इत्यादि की व्यवस्था करने हेतु ऊर्जा की आवश्यकता हो और उनके बिल उस क्षेत्र में मण्डल के सामान्य उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रदाय करने के लिए मण्डल के विद्यमान लो-टेंशन रेट पर बनाए जायेंगे.

परन्तु यदि किसी ऐसे व्यक्ति को दिए गए कनेक्शन का संविदा भार 10 अश्वशक्ति से अधिक हो तो स्वीकृति धारक मण्डल की पूर्व सम्मति अभिप्राप्त किए बिना उसे ऊर्जा प्रदाय नहीं करेगा.

6. इस स्वीकृति के अधीन विद्युत प्रदाय कारोबार से संबंधित लेखा स्वीकृति धारक के किसी अन्य कारोबार के लेखे से पृथक् तथा सुभिन्न रखा जायेगा. कारोबार के लेखे का वार्षिक विवरण ऐसे प्रारूप में तथा ऐसी विशिष्टियों सहित, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, मण्डल को दिया जाएगा तथा ये लेखे राज्य सरकार, मण्डल या राज्य सरकार द्वार इस प्रयोजन के लिये नियुक्त संपरीक्षकों द्वारा जांच तथा संपरीक्षा के लिए उपलब्ध रहेंगे.

7. स्वीकृति धारक इस स्वीकृति के अधीन उसके अधिकारों में से किसी भी अधिकार या उपरोक्तानुसार ऊर्जा के प्रदाय के लिए उसके द्वारा निष्पादित किसी भी कार्य का या उसके किसी भाग का समनुदेशन राज्य सरकार की लिखित पूर्व सम्मति के बिना विक्रय, बंधक, पट्टा, विनिमय द्वारा या अन्यथा नहीं करेगा.

8. राज्य सरकार इस स्वीकृति में किसी भी समय ऐसे परिवर्तन या संशोधन कर सकेगी जैसा कि वह उचित समझे.

9. राज्य सरकार मण्डल से परामर्श करने के पश्चात् इस स्वीकृति की कालावधि में वृद्धि कर सकेगी या स्वीकृति को नवीनीकृत करने की मंजूरी ऐसे निबंधनों तथा शर्तों पर, जैसा कि वह उचित समझे, दे सकेगी.

10. भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 के निम्नलिखित उपबंधों के बारे में यह समझा जायगा कि वे इस स्वीकृति पर लागू होते है, अर्थात् :—

(क) उक्त अधिनियम की धारा 6 से 8, 10, 11, 13 से 27, 42, 44, 47 तथा 54.

(ख) उक्त अधिनियम की अनुसूची के खण्ड तीन छः, आठ, बारह से सत्रह तक.

परन्तु स्वीकृति धारक केवल उन व्यक्तियों को, जिनको कि विद्युत प्रदय करने का दायित्व वह इस स्वीकृति की शर्त पांच के अनुसार लेता है, छोड़कर किसी भी अन्य व्यक्ति को विद्युत प्रदाय करने के किसी भी दायित्व के अधीन नहीं होगा.

11. राज्य सरकार द्वारा इस स्वीकृति का प्रति संहरण :—

(क) इस स्वीकृति के उपबंधों में से किसी भी उपबंध का उल्लंघन किए जाने पर या

(ख) स्वीकृति धारक की सम्मति से ऐसे दिनांक से, जो परस्पर तय हो, किया जा सकेगा.

Raipur, the 5th October, 2002

**Sub** :Issue of licence under Section 28 of Indian Electricity Act, 1910 (No. IX of 1910) to Bhoram Deo Sahakari Shakkar Karkhana Maryadit for supply of electricity in the notified area of the factory :—

No. 3860/ED/Notification/2002.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 28 of the Indian Electricity Act, 1910 (No. IX of 1910), the State Government, after consulting the Chhattisgarh State Electricity Board, hereby grants sanction to the Bhoram Deo Sahakari Shakkar Karkhana Maryadit, Kawrdha District Kawardha (hereinafter referred to as the sanction holder) to engage in the business of supplying electrical energy in the area bounded by red coloured line on the deposited map except at the point where the Chhattisgarh State Electricity Board is supplying or has agreed to supply power to its consumers or is using it for its own purposes on the date of the sanction, subject to the provisions of the said Act and the rules for the time being in force thereunder and subject to the conditions specified in the schedule hereto and such modifications thereof and such other conditions and restrictions as may, from time to time, be specified by the State Government.

SCHEDUEL

1. The several words, terms and expressions shall have in this sanction the respective meaning as assigned to them in the said Act and rules made thereunder.

Provided that the expression "deposited map" used in this sanction shall mean the plan which has been deposited with the State Government and signed for the purpose of identification on behalf of the sanction holder and the Joint Secretary to the State Government in the Energy Department and a duplicate copy of which has been made over to the sanction holder.

TENURE OF SANCTION

2. This sanction shall remain in force for a period of five years with effect from the date of notification in the Official Gazette. On application by the sanction holder, the sanction may be renewed for such period and under such terms and conditions as the State Government may think fit after consulting the Board before the expiry of the above period and the sanction-holder shall apply for further sanction well in advance.

3. The supply authorized by this sanction shall be for the purpose of supply of energy to employees of the sanction holder residing in the area of supply, for light, fans and other domestic electric appliances :

Provided that the sanction holder may extend supply to persons other than his employees in his area of supply, subject the condition (5) of this sanction.

4. The systems of supply to consumer in pursuance of this sanction shall be;

(1) Alternating current supply on a three phase four wire system at a pressure not exceeding 400 Volts between the phases and 230 volts between the phases and neutral, the neutral conductor being connected to earth at the concerned 11 KV/400 Volts transformer Sub-stations :

Provided, however, that the sanction holder may lay his high tension distribution lines in the Area of supply at a pressure not exceeding 11,000 Volts between phases by adopting a system of 11,000 Volts, alternating current 3 phase, 50 cycles per second.

Provided also that the sanction holder may, from time to time, with previous sanction in writting of and subject to such limitations and conditions, as shall be prescribed in writting by the State Government adopt in whole or in part any other system of distribution for the purpose of this supply.

(2) The feeders, distributing mains and service lines may be aerial or underground in whole or in part, and shall be erectted, constructed and maintained by the sanction holder in strict confromity with the said Act and rules made there under;

5. The distribution of energy within the area of supply shall be primarily for the employees of the sanction holder. Any energy supplied by the sanction holder to persons other than sancion holder's employees shall be only to such persons who uti lize energy in residential, commercial and service building owned by the sanction holder and who require energy for providing essential services such as commercial shops, restaurants and public utilities for sanction holder's employees and shall be billed for the prevailing low tension rates of the Board for supply of energy to the Board's gen eral consumers in the area;

Provided that if the connected load of any such persons is more than 10 H. P. the sanction holder shall not supply it without obtaining prior consent of the Board.

6. The account in connection with the electric supply business under this sanction shall be kept separate and distinct from any other business belonging to the sanction holder. The annual statement of accounts of the business shall be rendered to the Board in such form and contain such particulars as may be prescribed by the State Government and shall be open to examination and audit by the State Government/Board or auditors appointed by the State Government for the purpose.

7. The sanction holder shall not assign any of his rights under this sanction or the work executed by him for the supply of energy as aforesaid or any part thereof by sale, mortgage lease, exchange or other wise, without the previous consent in writting of the State Government.

8. The State Government may, at any time, make such alterations or amendments in this sanctions as it may think fit.

9. The State Government may, after consulting the Board, extend the period of this sanction or grant renewed sanction on such terms and conditions as it think fit.

10. The following provisions of the Indian Electricity Act, 1910 shall be deemed to apply to this sanction, namely :—

(a) Section 6 to 8, 10, 11, 13 to 27, 42, 44 47 and 54.

(b) Clauses III, VI, VIII, XII to XVII of the shedule to the said act;

Provided that the sanction holder shall not be under any obligation to supply power to any person except those to whom he has undertaken to supply in accordance with condition 5 of this sanction.

11. This sanction may be revoked by the State Governemnt :—

(a) If any of the provisions of this sanction re contravened;

or

(b) With the consent of the sanction holder with effect from a date mutually agreed upon.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा अदेशानुसार,
**एस. एन. ध्रुव,** संयुक्त सचिव.

## ऊर्जा विभाग
## छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल

**कोरबा पूर्व ताप विद्युत परियोजना चरण-पांच**
**( 2×210 मेगावाट )**

रायपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2002

**संदर्भ** :—मु. अ. (पीआरजी-2)/को.पू./यथासंशोधित विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम 1948 के अनुच्छेद 29 में उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत परियोजना की अधिसूचना.

क्रमांक 3999/ऊवि/अ.अ.यं./2002.—यथासंशोधित विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 28 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त अधिनियम के तहत छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा स्थापित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल (इसे आगे सी.एस.ई.बी. कहा जायेगा) जिसका मुख्यालय डंगनिया, रायपुर (छत्तीसगढ़) में है, ने छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में कोरबा पूर्व ताप विद्युत परियोजना चरण-पांच, 2×210 मे. वा. (420 मेगावाट) के तहत एक कोयला आधारित विद्युत उत्पादन केन्द्र की स्थापना, निर्माण तथा प्रचालन संबंधी योजना तैयार की है.

और अतएव कथित अधिनियम की धारा 29 (2) के अधीन 2×210 मेगावाट की योजना को अंतिम रूप देने के पहले सी.एस.ई.बी. द्वारा ऐसी योजना से संबंधित राज्य के राजपत्र में एवं ऐसे स्थानीय समाचार पत्रों जिसे सी.एस.ई.बी. आवश्यक समझे, में प्रकाशित कराने की अपेक्षा होती है, अनुज्ञप्तिधारी एवं अन्य इच्छुक व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से दो महीने के भीतर अभ्यावेदन कर सकते है.

अब, अत: सी.एस.ई.बी. एतद्द्वारा उपरोक्त अधिनियम की धारा 29 (2) की शर्तों के अधीन उपरोक्त योजना का विवरण निम्नानुसार प्रकाशित करता है :—

1. **शीर्षक :**

योजना को कोरबा पूर्व ताप विद्युत परियोजना चरण-पांच स्थापित क्षमता 2×210 मेगावाट (420 मेगावाट) कहा जायेगा.

2. **अवस्थिति :**

प्रस्तावित कोरबा पूर्व ताप विद्युत परियोजना चरण-पांच के लिये संयंत्र सुविधा छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में सी.एस.ई.बी. की उपलब्ध भूमि जो कि पुराना पावर हाउस क्रमांक-1 के बंद होने से खाली हुई है, पर होना है. लेकिन कोल स्टाक, इनटेक/मेकअप वाटर पंप हाउस तथा राखड़ बांध के लिए लगभग 300 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी जिसका अधिग्रहण नियमानुसार किया जावेगा.

3. **योजना की मुख्य विशेषताएं :**

प्रस्तावित कोरबा पूर्व ताप विद्युत परियोजना चरण-पांच में संबंधित समस्त सुविधाओं, सहायक उपकरणों, स्विचयार्ड आदि सहित 2×210 मेगावाट की इकाईयों की स्थापना प्रस्तावित है.

(अ) **कोयले की आपूर्ति :** विद्युत संयंत्र के लिए कोयले का प्रदाय साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड, कोरबा से प्रस्तावित है. कोयले की ढुलाई सी.एस.ई.बी. द्वारा रेल लाइन अथवा आवश्यकता होने पर सड़क परिवहन एवं अन्य परिवहन साधनों से की जाएगी.

(ब) **जल आपूर्ति :** परियोजना हेतु जल आपूर्ति जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ राज्य शासन कोरबा स्थित हसदेव बराज जलाशय से किया जाना प्रस्तावित है.

(स) **विद्युत का पारेषण :** परियोजना से उत्पादित विद्युत का पारेषण सी.एस.ई.बी. की वर्तमान 132/220 के. व्ही. तथा 400 के. व्ही. की लाइन/वर्तमान प्रणाली द्वारा किया जावेगा.

(द) **योजना की अनुमानित लागत :** प्रस्तावित योजना की वर्तमान में अनुमानित लागत 1500 करोड़ रुपये आंकलित है.

4. **लाभ :**

उक्त परियोजना द्वारा उत्पादित विद्युत छत्तीसगढ़ राज्य की आवश्यकता, जिसमें विद्युत की मांग व उपलब्धता के संतुलन को बनाते हुए राज्य में निरंतरता के साथ गुणवत्ता की विद्युत ऊर्जा प्रत्येक उपभोक्ता को प्रदाय हेतु अनिवार्य है. इस परियोजना से दसवीं पंचवर्षीय योजना में लाभ प्राप्त करना प्रस्तावित है बशर्ते कि अनिवार्य

स्वीकृतियां प्राप्त हो जाये तथा वित्तीय व्यवस्था हेतु वित्तीय संस्थानों/बैंकों से अनुबंध करार हो जावे.

**5. विद्युत ( आपूर्ति ) अधिनियम और भारतीय तार अधिनियम के अधीन सी.एस.ई.बी. की शक्तियां.**

यथासंशोधित विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के अनुसरण में सी. एस. ई. बी. उक्त अधिनियम के अधीन उपरोक्त योजना के प्रयोजन के लिये सी. एस. ई. बी. में निहित सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा, एतद्द्वारा यह भी अधिसूचित किया जाता है कि यथासंशोधित विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 42 के अनुसार सी.एस.ई.बी. को स्वीकृत योजना का प्रारंभ और निष्पादन करते समय विद्युत के पारेषण और वितरण के लिये तारों को बिछाने, खंभे, दीवाल, ब्रेकेट, पकड़ उपकरण और अन्य उपकरण लगाने की सभी शक्तियां होंगी और परियोजना के निर्माण कार्य के उचित समन्वय के लिये आवश्यक तार अथवा टेलीफोन संचार के पारेषण की भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 की अधिनियम संख्या 13) के भाग 3 के अधीन वे सभी शक्तियां होंगी जिन्हें तार प्राधिकरण एवं शासन द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित या इस प्रकार स्थापित, अनुरक्षित या इसी प्रकार स्थापित होने वाले हों. बशर्ते कि जहां स्वीकृत योजना यथा उपरोक्त ऐसी व्यवस्था नहीं करती वहां भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 12 से 19 तक के सभी उपबंध लागू होंगे.

6. एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त अधिनियम की धारा 29 (2) के अंतर्गत इसमें अभिरूचि रखने वाले किसी भी अनुज्ञप्तिधारी या अन्य किसी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वे अपना आपत्ति पत्र, इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तिथि से दो माह के अंदर प्रस्तुत कर सकते हैं. इसके बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आपत्ति पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के आदेशानुसार

**ए. एम. के. भरोस**
सचिव.

CHHATTISGARH STATE ELECTICITY BOARD

KORBA EAST THERMAL POWER PROJECT
STAG -FIVE ( 2 x 210 MW)

Raipur, the 10th October 2002

**Ref :**— CE (PRG-II)/KORBA EAST/Notification of the Scheme under Section 29(2) of the Electricity (Supply) Act, 1948 amended.

No. 3999/ED/A.A.Y./2002.—WHEREAS in exercise of its power under Section 28 of the Electricity (Supply) Act, 1948, as amended, Chhattisgarh State Government, constituted Chhattisgarh State Electricity Board, (hereinafter referred to as "CSEB") having its H. Q. Dagania, Raipur (Chhattisgarh State) has prepared the Scheme relating to establishement, construction and operation of Coal based Generating Power Station of 2x210 MW (420 MW) korba East Thermal Power Project Stage Five.

AND WHEREAS, under Section 29 (2) of the said Act, the C.S.E.B., before finalisation is required to cause such Schemes to be published in the Official Gazette of the State concerned and in such local newspapers as the C.S.E.B. may consider necessary, the licensees and other persons interested may make representations within two months from the date of publication of this Notification.

NOW THEREFORE, CSEB hereby publishes the Scheme in terms of Section 29 (2) of the aforesaid Act, as follows :—

**1. Title :**
The Scheme shall be called 2x210 MW (420 MW) Korba East Thermal Power Project, Stage Five.

**2. Location :**
The proposed plant facilities for Korba East Thermal Power Project Stage Five would be located on the existing land of retired 100 MW TPS site of Chhattisgarh State Electricity Board. Approximately 300 Hectors of land is however proposed to be acquired for intake/make up water pump house and ash dyke area. The land acquisition shall be done as per rule.

**3. Salient features of the Scheme :**
The proposed 2x210 MW (420 MW) Korba East Thermal Power Project, Stage Five envisages setting up of 2x210 MW units along with all associated facilities, auxiliary equipment, Swithcyard etc.

(a) **Coal Supply :** The power station is envisaged to be supplied coal from SECL. Korba and coal transportati[illegible] is envisaged by Rail/Road tra[illegible] or any other transportation m[illegible]

(b) **Water Linkage :** It is propose[illegible] the water requirement of the proje[illegible] will be met from Hasdeo barrage Govt. of Chhattisgarh, Water Resource Department.

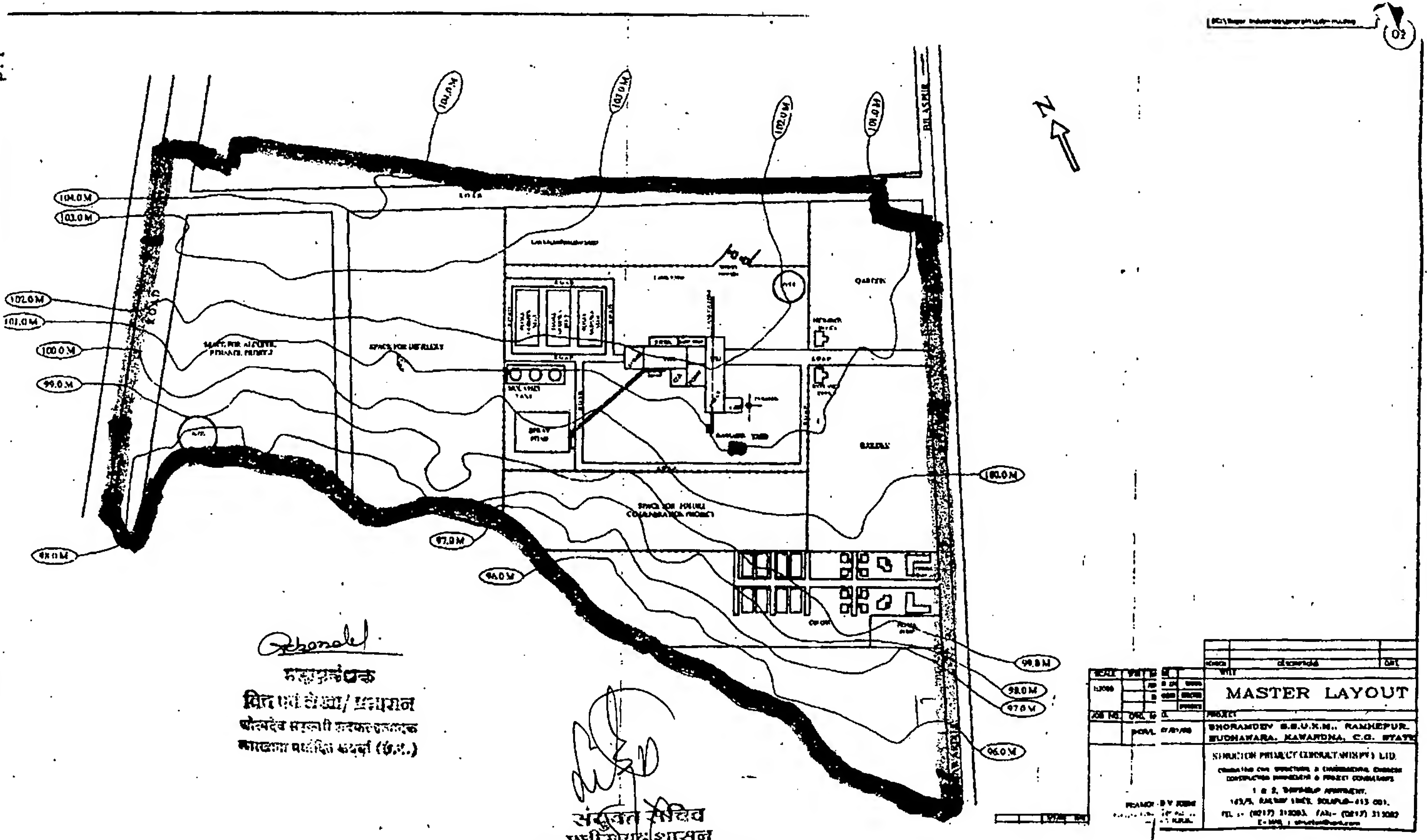


महाप्रबंधक
वित्त एवं लेखा/ प्रशासन
भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक
कारखाना मर्यादित कवर्धा (छ.ग.)

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन एवं ऊर्जा विभाग

(c) **Power Evacuation** : Generated Electrical power shall be evacuated through our existing Power System & lines of 132/220 KV and 400 KV, if required additional lines may be laid as per rule.

(d) **Estimated Cost of the Scheme** : The estimated cost of the proposed Scheme is Rs. 1500 crores.

4. **Beneficiaries :**

Electrical power generated by this project shall be used for future development of the State of Chhattisgarh and to cope up the future demand and supply gap of electricity. The project is essential to supply electricity of good quality and continuously to all the consumers. It is proposed that the benefit of this power will be made available to the State in 10th Five Year Plan subjected to the statutory clearances & availability of funds and financial closure by financial instituions/Banks.

5. **Power of the CSEB under Electricity (Supply) Act and Indian Telegraph Act :**

In accordance with the Electricity (Supply) Act, 1948 as amended, CSEB shall exercise all the powers under the said Act, for the purpose of aforesaid scheme. It is also hereby notified that in terms of Section 42 of the Electricity (Supply) Act, 1948, as amended, CSEB while undertaking and executing the sanctioned scheme shall have all the powers of placing of any wires, poles, wall brackets, stays, apparatus and other appliances for transmission and distribution of the electricity or for the transmission of telegraphic, or telephonic communication necessary for the proper coordination of the works of CSEB, all the powers which the Telegraphic Authority possesses under the Part-III of the Indian Telegraph Act, 1885 (Act No. XIII of 1885) with regard to a telegraph established or maintained by the Government or to be so established or maintained. Provided that where a sanctioned scheme does not make such provision as aforesaid, all the provision of the Section 12 to 19 of the Indian Electricity Act, 1910 shall apply.

Notice is hereby given under-Section 29 (2) of the said Act that any licensee or other person so interested may make his/their representation of above scheme, if any, within two (2) months from the date of publication of this Notification after which no further representation will be considered.

By the order of Chhattisgarh State Elec. Board

**A. M. K. BHAROS**
Secretary.

## विधि और विधायी कार्य विभाग
### मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2002

क्रमांक 6174/21-ब/छ.ग.2002.—राज्य शासन, श्री आर. एल. झंवर, जिन्हें छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1/खाद्य/2001/29, दिनांक 7-2-2001 द्वारा अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, बिलासपुर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया गया था, की सेवाऐं छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, रायपुर से वापिस लेते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 5070/गोप/2002/11-2-17/2001, दिनांक 25-9-2002 के परिप्रेक्ष्य में उच्च न्यायालय बिलासपुर को एतद्द्वारा वापिस की जाती हैं.

रायपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2002

क्रमांक 6175/21-ब/छ.ग./2002.—राज्य शासन, श्री ताराचन्द यदु, अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर की सेवाऐं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 5070/गोप./2002/11-2-17/2001, दिनांक 25-9-2002 के परिप्रेक्ष्य में उच्च न्यायालय, बिलासपुर को एतद्द्वारा वापिस की जाती हैं.

रायपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2002

क्रमांक 6176/21-ब/छ.ग./2002.—राज्य शासन, श्री आर. एन. चन्द्राकर, रजिस्ट्रार, राज्य प्रशासनिक अधिकरण, खंडपीठ रायपुर, जिनकी सेवाएं इस विभाग के आदेश क्रमांक 1105/डी-273/21-ब/छ.ग./02, दिनांक 4-2-2002 द्वारा प्रतिनियुक्ति पर मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को सौंपी गई थी, को वापिस लेते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को एतद्द्वारा वापिस की जाती हैं.

रायपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2002

क्रमांक 630/1717/21-अ (स्था.)2002/छ.ग.—मान. उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश क्रमांक 5070/गो./2002/दो-2-17/2001, दिनांक 25-9-2002 एवं 5079/गो./दो-2-1/2002 (भाग-दो) दिनांक 25-9-2002 एवं 5079/गो./दो-2-1/2002 (भाग-दो) दिनांक 25-9-2002 के परिप्रेक्ष्य में श्री टी. सी. यदु अतिरिक्त सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद हेतु कार्यभार ग्रहण करने हेतु दिनांक 1-10-2002 से अपरान्ह से कार्यमुक्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**जे. के. एस. राजपूत, सचिव.**

रायपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2002

क्रमांक 6144/1660/2002/21-ब.—भारतीय, क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 (क्रमांक 15 सन् 1872) की धारा 6 तथा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, धर्म-कर्म कराने वाले (मिनिस्टर आफ रिलीजन) पास्टर के ए. जार्ज, इंडिया फुल गोस्पेल मिशन, राजनांदगांव को संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में भारतीय ईसाईयों के बीच :—

(1) विवाह अनुष्ठापित कराने और,
(2) भारतीय क्रिश्चियनों (ईसाईयों के बीच होने वाले विवाहों के प्रमाणपत्र देने हेतु) छत्तीसगढ़ राज्य के संपूर्ण जिलों के लिए अनुज्ञप्ति मंजूर करता है.

No. 6144/1660/2002/21-B.—In exercise of the powers conferred by Section 6 and 9 of the Indian Christian Marriage Act, 1872 (No. 15 of 1872), the State Government are pleased to grant license to the Minister of Religion Paster K. A. George Indian Full Gospal Mission Rajnandgaon for the whole State of Chhattisgarh:—

(1) The selomanise marriages, and
(2) To grant certifies of marriage between the Indian Christians.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अनुराधा खरे**, उप-सचिव.

---

## राजस्व विभाग

### कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 17 सितम्बर 2002

क्रमांक /अ.वि.अ./भू-अर्जन/05 अ/82 सन् 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

#### अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| महासमुंद | महासमुंद | पड़कीपाली प. ह. नं. 118/65 | 3.15 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग कोडार परियोजना, महासमुंद | चंडी डोंगरी जलाशय के अंतर्गत पड़कीपाली माईनर नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुंद, के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 17 सितम्बर 2002

क्रमांक 440/अ.वि.अ./भू-अर्जन/06 अ/82 सन् 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| महासमुंद | महासमुंद | सोनापुटी<br>प. ह. नं. 118/65 | 0.22 | कार्यपालन यंत्री, कोडार परियोजना संभाग, महासमुंद. | चंडी डोंगरी जलाशय के अंतर्गत दांयी मुख्य नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 27 सितम्बर 2002

क्रमांक 445/अ.वि.अ./भू-अर्जन/10 अ/82 सन् 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| महासमुंद | महासमुंद | खोपली<br>प. ह. नं. 118/65 | 5.08 | कार्यपालन यंत्री,<br>कोडार परियोजना संभाग, महासमुंद | चंडी डोंगरी जलाशय योजना के अंतर्गत बांयी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुंद, के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 5 अक्टूबर 2002

क्रमांक 442/अ.वि.अ./भू-अर्जन/11 अ/82 सन् 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| महासमुंद | महासमुंद | बागबाहरा खुर्द प. ह. नं. 119/66 | 0.24 | कार्यपालन यंत्री, कोडार परियोजना संभाग, महासमुंद. | चंडी डोंगरी जलाशय के अंतर्गत बांयी, तट मुख्य नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 5 अक्टूबर 2002

क्रमांक 443/अ.वि.अ./भू-अर्जन/08 अ/82 सन् 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| महासमुंद | महासमुंद | घुंचापाली कला प. ह. नं. 118/65 | 0.95 | कार्यपालन यंत्री,, कोडार परियोजना संभाग, महासमुंद | चंडी डोंगरी जलाशय के अंतर्गत बांयी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 5 अक्टूबर 2002

क्रमांक 444/अ.वि.अ./भू-अर्जन/01 अ/82 सन् 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है; अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| महासमुंद | महासमुंद | अछोली प. ह. नं. 138/85 | 0.374 | कार्यपालन यंत्री, कोडार परियोजना संभाग, महासमुंद | अछोली सब माइनर क्रमांक 2 कोडार नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**मन्दिर कौर द्विवेदी**, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 25 सितम्बर 2002

क्रमांक 01/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| सरगुजा | प्रतापपुर | भेडिया | 3.930 | अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उप-संभाग, प्रतापपुर. | भेडिया जलाशय के निर्माण बाबत. |

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 23 सितम्बर 2002

रा.प्र.क्र./33/अ-82/2001-2002—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| सरगुजा | अंबिकापुर | नवागढ़ | 0.116 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, अंबिकापुर. | जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 अंबिकापुर के स्टोर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अंबिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 23 सितम्बर 2002

रा.प्र.क्र./34/अ-82/2001-2002—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| सरगुजा | अंबिकापुर | महेशपुर | 2.367 | कार्यपालन यंत्री, बरनई नहर संभाग, अंबिकापुर. | घुनघुट्टा परियोजना के डूबान क्षेत्र हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अंबिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 23 सितम्बर 2002

रा.प्र.क्र./35/अ-82/2001-2002—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| सरगुजा | अंबिकापुर | कोटेया | 1.903 | कार्यपालन यंत्री, बरनई नहर संभाग, अंबिकापुर. | बरनई परियोजना के बांयीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी अंबिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 23 सितम्बर 2002

रा.प्र.क्र./36/अ-82/2001-2002—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी कों उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| सरगुजा | अंबिकापुर | सुखरी | 0.020 | कार्यपालन यंत्री, बरनई नहर संभाग, अंबिकापुर. | बरनई परियोजना के सुखरी सब माइनर क्र. 2 निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी अंबिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 23 सितम्बर 2002

रा.प्र.क्र./37/अ-82/2001-2002—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| सरगुजा | अंबिकापुर | श्रीगढ़ | 0.057 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 अंबिकापुर. | बांकी परियोजना के नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक़्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अंबिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 1 अक्टूबर 2002

रा.प्र.क्र./1/अ-82/2002-2003—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| सरगुजा | अंबिकापुर | बरगई | 0.604 | कार्यपालन यंत्री, बरनई नहर संभाग, अंबिकापुर. | करैंया वितरक नहर के नौगई माइनर नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अंबिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 1 अक्टूबर 2002

रा.प्र.क्र./02/अ-82/2002-2003--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| सरगुजा | अंबिकापुर | बरगई | 1.506 | कार्यपालन यंत्री, बरनई नहर संभाग अंबिकापुर. | करेंया वितरक नहर के बरगई माइनर नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अंबिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 1 अक्टूबर 2002

रा.प्र.क्र./3/अ-82/2002-2003--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| सरगुजा | अंबिकापुर | दरिमा | 1.068 | कार्यपालन यंत्री, बरनई नहर संभाग, अंबिकापुर. | करेंया वितरक नहर के बरगई माइनर नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अंबिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 1 अक्टूबर 2002

रा.प्र.क्र./4/अ-82/2002-2003—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| सरगुजा | अंबिकापुर | महुआ टिकरा | 1.114 | कार्यपालन यंत्री, बरनई नहर संभाग, अंबिकापुर. | करेंया वितरक नहर के बरगई माइनर नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अंबिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**विवेक कुमार देवांगन,** कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

---

## राजस्व विभाग

### कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 30 सितम्बर 2002

क्रमांक 876/प्र. 1/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दुर्ग
(ख) तहसील-साजा
(ग) नगर/ग्राम-मुंगलाटोला, प.ह.नं. 21
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.01 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 318 | 0.03 |
| 320 | 0.02 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 330 | 0.13 |
| 344 | 0.07 |
| 357 | 0.05 |
| 510 | 0.20 |
| 489 | 0.06 |
| 467 | 0.08 |
| 447 | 0.05 |
| 458/2.3 | 0.15 |
| 319 | 0.01 |
| 454/1 | 0.05 |
| 332/1, 3 | 0.08 |
| 342 | 0.08 |
| 509 | 0.01 |
| 483 | 0.11 |
| 490 | 0.16 |
| 453 | 0.01 |
| 332/4 | 0.08 |
| 471 | 0.01 |
| 321 | 0.01 |
| 323 | 0.07 |
| 448/4 | 0.02 |
| 340 | 0.08 |
| 513/2 | 0.04 |
| 487 | 0.05 |
| 470/1,2 | 0.11 |
| 454/2 | 0.13 |
| 513/7 | 0.05 |
| 457/2 | 0.01 |
| योग | 2.01 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भरदा माइनर नहर निर्माण है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 30 सितम्बर 2002

क्रमांक 877/प्र. 1/2002/1293.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दुर्ग
(ख) तहसील-साजा
(ग) नगर/ग्राम-गाडाभाटा, प.ह.नं. 23
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.36 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 471 | 0.19 |
| 1473 | 0.08 |
| 540/1 | 0.03 |
| 543 | 0.03 |
| 558 | 0.03 |
| 596 | 0.01 |
| 605 | 0.01 |
| 609 | 0.04 |
| 615 | 0.05 |
| 619 | 0.03 |
| 649 | 0.02 |
| 652 | 0.03 |
| 674 | 0.05 |
| 697 | 0.02 |
| 1381 | 0.02 |
| 1407 | 0.06 |
| 1606 | 0.09 |
| 540/2 | 0.03 |
| 1445 | 0.03 |
| 1470 | 0.11 |
| 1478/3,5 | 0.10 |
| 1709 | 0.07 |
| 545/2 | 0.01 |
| 560 | 0.04 |
| 470 | 0.07 |
| 541 | 0.01 |
| 544 | 0.02 |
| 559 | 0.01 |
| 597 | 0.05 |
| 604 | 0.04 |
| 696 | 0.03 |
| 616 | 0.03 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 645 | 0.05 |
| 650 | 0.02 |
| 673 | 0.05 |
| 677 | 0.01 |
| 679 | 0.06 |
| 1382 | 0.01 |
| 1383 | 0.17 |
| 1446 | 0.08 |
| 1435 | 0.01 |
| 1607 | 0.01 |
| 1448 | 0.07 |
| 1474 | 0.15 |
| 1609/2 | 0.10 |
| 545/1 | 0.01 |
| 1434 | 0.07 |
| 531 | 0.08 |
| 542 | 0.01 |
| 554 | 0.01 |
| 593 | 0.03 |
| 1715/1,2 | 0.05 |
| 603 | 0.04 |
| 1444 | 0.02 |
| 1472 | 0.07 |
| 618 | 0.08 |
| 648 | 0.02 |
| 651 | 0.03 |
| 675 | 0.01 |
| 678 | 0.03 |
| 698 | 0.03 |
| 1406 | 0.03 |
| 1404 | 0.12 |
| 1427 | 0.05 |
| 1436 | 0.06 |
| 1710 | 0.06 |
| 1467 | 0.11 |
| 1478/1,4 | 0.10 |
| 1610 | 0.01 |
| योग | 3.36 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गाडाभाटा माइनर नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 2 जुलाई 2002

क्रमांक 888/प्र.1/2002/1323.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-साजा
- (ग) नगर/ग्राम-हेडरपुर, प.ह.नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.51 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 205 | 0.11 |
| 211 | 0.07 |
| 207 | 0.04 |
| 255 | 0.05 |
| 208 | 0.06 |
| 495 | 0.01 |
| 209 | 0.17 |
| योग | 0.51 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हथपुड़ी व्यपवर्तन (खंडपार)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 25 सितम्बर 2002

क्रमांक 1586/ले.पा./भू-अर्जन/2002—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-डौंडीलोहारा

(ग) नगर/ग्राम-तुरमुड़ा, प. ह. नं. 31

(घ) लगभग क्षेत्रफल-11.89 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 689 | 0.05 |
| 309/4 | 0.02 |
| 13/1 | 0.04 |
| 309/3 | 0.05 |
| 309/5 | 0.03 |
| 688 | 0.05 |
| 686 | 0.05 |
| 799 | 0.15 |
| 841 | 0.03 |
| 677 | 0.09 |
| 679 | 0.09 |
| 685 | 0.17 |
| 844 | 0.03 |
| 12 | 0.12 |
| 678 | 0.10 |
| 680 | 0.14 |
| 845 | 0.29 |
| 681 | 0.09 |
| 188 | 0.25 |
| 676 | 0.05 |
| 201 | 0.07 |
| 166 | 0.08 |
| 317 | 0.03 |
| 557 | 0.07 |
| 3 | 0.46 |
| 20 | 0.13 |
| 167 | 0.18 |
| 168/1 | 0.10 |
| 168/2 | 0.10 |
| 171 | 0.13 |
| 318 | 0.03 |
| 556 | 0.06 |
| 176 | 0.08 |
| 316 | 0.06 |
| 559 | 0.23 |
| 184 | 0.20 |
| 874 | 0.07 |
| 183 | 0.12 |
| 41 | 0.13 |
| 187 | 0.05 |
| 315 | 0.12 |
| 324 | 0.10 |
| 497 | 0.32 |
| 319 | 0.05 |
| 322 | 0.03 |
| 320 | 0.04 |
| 325 | 0.01 |
| 492 | 0.04 |
| 321 | 0.06 |
| 493 | 0.11 |
| 323 | 0.18 |
| 522 | 0.22 |
| 558 | 0.10 |
| 561 | 0.14 |
| 521 | 0.12 |
| 562 | 0.12 |
| 516 | 0.13 |
| 414 | 0.35 |
| 515 | 0.08 |
| 170 | 0.07 |
| 458 | 0.02 |
| 494 | 0.02 |
| 840 | 0.03 |
| 409 | 0.18 |
| 5 | 0.20 |
| 408 | 0.20 |
| 387 | 0.16 |
| 384 | 0.22 |
| 382 | 0.23 |
| 369 | 0.34 |
| 198/988/1 | 0.23 |
| 199/15 | 0.07 |
| 199/16 | 0.07 |
| 199/14 | 0.07 |
| 199/18 | 0.18 |
| 199/17 | 0.14 |
| 189/3 | 0.37 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 200 | 0.05 |
| 202 | 0.04 |
| 199/13 | 0.04 |
| 40 | 0.36 |
| 42/3 | 0.29 |
| 21 | 0.32 |
| 6 | 0.23 |
| 42/2 | 0.07 |
| 198 | 0.16 |
| 495/2 | 0.12 |
| 508/1 | 0.03 |
| 495/3 | 0.05 |
| 508/2 | 0.03 |
| 189/2 | 0.15 |
| 19/2 | 0.04 |
| 410/4 | 0.18 |
| 514 | 0.05 |
| 511 | 0.02 |
| 198/988/2 | 0.07 |
| 673 | 0.06 |
| 676 | 0.08 |
| 673 | 0.03 |
| योग | 11.89 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तुरमुड़ा लघु जलाशय एवं नहर निर्माण कार्य हेतु

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डौंडीलोहारा, जिला दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**आई. सी. पी. केशरी,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 25 सितम्बर 2002

रा.प्र.क्र./25/अ-82/2001-2002—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 7 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सरगुजा
(ख) तहसील-अम्बिकापुर
(ग) नगर/ग्राम-छिन्दकालो, प. ह. नं. 31
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.137 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 655/4 | 0.064 |
| 246 | 0.045 |
| 247 | 0.028 |
| योग | 0.137 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ग्राम छिन्द-कालो के मोतीपुर माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 25 सितम्बर 2002

रा.प्र.क्र./27/अ-82/2001-2002—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 7 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अम्बिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-सिरकोतंगा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.210 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 174/1 | 0.210 |
| योग | 0.210 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ग्राम सिरकोतंगा के माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 25 सितम्बर 2002

रा.प्र.क्र./28/अ-82/2001-2002—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 7 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अम्बिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-भालूकछार,
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.081 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 350/5 | 0.081 |
| योग | 0.081 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-श्याम परियोजना के बायीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 25 सितम्बर 2002

रा.प्र.क्र./29/अ-82/2001-2002—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 7 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अम्बिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-कोटेया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.128 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 711/6 | 0.020 |
| 711/9 | 0.024 |
| 711/7 | 0.020 |
| 711/10 | 0.024 |
| 711/8 | 0.016 |
| 765/2 | 0.024 |
| योग | 0.128 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ग्राम मोतीपुर के माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**विवेक कुमार देवांगन,** कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2002

क्रमांक/230/भू-अर्जन/प्रकरण क्रमांक 1/अ-82/2001-2002—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 एवं सहपठित धारा 17 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-देवरी,
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.330 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 243 | 0.061 |
| 246 | |
| 247 | |
| 248 | |
| 249 | |
| 269 | |
| 272 | 0.024 |
| 270 | |
| 271 | 0.081 |
| 669 | 0.020 |
| 670 | 0.040 |
| 671 | 0.0.405 |
| 698/1 | 0.166 |
| 699/1 | 0.405 |
| 700/1 | 0.356 |
| 708 | |
| 700/2 | 0.226 |
| 701 | |
| 707 | |
| 703 | 0.166 |
| 704 | |
| 705 | |
| 709/2 | 0.016 |
| 783/1 | 0.061 |
| 784 | 0.020 |
| 785 | 0.008 |
| 1129 | 0.040 |
| 1130/2 | |
| 1147 | 0.024 |
| 1133/1 | 0.365 |
| 1135/2 | 0.008 |
| 1130/7 | 0.061 |
| 1133/4 | 0.032 |
| 1133/5 | 0.101 |
| 1133/6 | 0.142 |
| 1134/1 | 0.101 |
| 1134/2 | 0.036 |
| 1151/1 | 0.049 |
| 1151/3 | 0.081 |
| 1155/1 | 0.304 |
| 1155/2 | 0.024 |
| 1156/1 | 0.049 |
| 1156/2 | 0.162 |
| 1130/4 | 0.101 |
| योग 30 | 3.330 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एन.टी.पी.सी. सीपत परियोजना रेल्वे सायडिंग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2002

क्रमांक/भू-अर्जन/प्रकरण क्रमांक 2/अ-82/2001-2002—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 एवं सहपठित 17 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-मस्तूरी

(ग) नगर/ग्राम-गतौरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-15.819 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 37/2 | 0.190 |
| 37/3 | 0.182 |
| 37/4 | 0.032 |
| 37/6 | 0.004 |
| 37/7 | 0.008 |
| 41/1 | 0.004 |
| 42 | 0.028 |
| 43 | 0.533 |
| 44 | 0.012 |
| 49/2 | 0.004 |
| 49/4 | 0.304 |
| 50/1 | 0.138 |
| 50/2 | 0.065 |
| 51/1 | 0.162 |
| 51/2 | 0.210 |
| 52/1 | 0.393 |
| 52/2 | 0.121 |
| 54/1 | 0.081 |
| 54/2 | 0.040 |
| 55/2<br>56/2 | 0.016 |
| 57/5 | 0.004 |
| 207/1<br>207/2 | 0.194 |
| 207/3 | 0.158 |
| 207/4 | 0.028 |
| 207/5 | 0.028 |
| 208 | 0.024 |
| 209 | 0.376 |
| 210/2 | 0.194 |
| 210/3 | 0.004 |
| 210/4 | 0.150 |
| 210/5 | 0.146 |
| 211/2 | 0.105 |
| 213 | 0.008 |
| 214/1 | 0.142 |
| 214/2 | 0.008 |
| 215/1 | 0.121 |
| 215/2 | 0.105 |
| 215/3 | 0.121 |
| 215/4 | 0.202 |
| 216 | 0.004 |
| 217/1 | 0.004 |
| 252/1 | 0.121 |
| 252/3 | 0.141 |
| 252/4 | 0.016 |
| 252/7 | 0.004 |
| 269 | 0.081 |
| 272/1 | 0.069 |
| 272/2 | 0.093 |
| 273/2 | 0.036 |
| 274 | 0.016 |
| 277 | 0.680 |
| 278 | 0.793 |
| 279/2 | 0.008 |
| 279/4 | 0.117 |
| 279/5<br>279/8 | 0.097 |
| 279/6 | 0.283 |
| 276/7 | 0.243 |
| 280 | 0.534 |
| 281/5 | 0.049 |
| 281/6 | 0.202 |
| 281/8 | 0.223 |
| 283 | 0.073 |
| 375/1 | 0.202 |
| 379/1 | 0.012 |
| 380/1 | 0.016 |
| 380/2 | 0.121 |
| 380/3 | 0.069 |
| 380/4 | 0.097 |
| 381 | 0.004 |
| 394/1 | 0.004 |
| 394/2 | 0.004 |
| 395/1 | 0.004 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 395/2 | 0.004 |
| 397 | 0.004 |
| 399/1 | 0.057 |
| 399/2 | 0.133 |
| 399/3 | 0.113 |
| 400/1 | 0.008 |
| 400/2 | 0.016 |
| 400/3 | 0.210 |
| 405/2 | 0.036 |
| 405/3 | 0.004 |
| 406/1 | 0.202 |
| 406/2 | 0.036 |
| 407/1 | 0.222 |
| 407/2 | 0.053 |
| 407/3 | 0.057 |
| 408 | 0.069 |
| 409/1 | 0.008 |
| 409/2 | 0.081 |
| 409/3 | 0.125 |
| 409/5 | 0.170 |
| 431/1 | 0.032 |
| 431/2 | 0.049 |
| 432/2 | 0.040 |
| 432/5 | 0.073 |
| 433/1 | 0.154 |
| 433/2 | |
| 434/1 | 0.073 |
| 434/2 | 0.150 |
| 434/3 | 0.073 |
| 435/7 | 0.073 |
| 435/8 | 0.049 |
| 435/9 | 0.081 |
| 435/10 | 0.081 |
| 436/1 | 0.040 |
| 436/2 | 0.178 |
| 436/3 | |
| 437 | 0.004 |
| 438/2 | 0.105 |
| 438/3 | 0.121 |
| 438/4 | 0.178 |
| 438/6 | 0.049 |
| 439 | 0.081 |
| 440 | 0.073 |
| 441/1 | 0.138 |
| 441/2 | 0.243 |
| 470 | 0.117 |
| 471/1 | 0.020 |
| 472 | 0.024 |
| 528 | 0.040 |
| 532/1 | 0.020 |
| 532/2 | 0.012 |
| 533 | 0.024 |
| 535 | 0.045 |
| 538 | 0.113 |
| 540 | 0.061 |
| 2582 | 0.004 |
| 2583 | 0.129 |
| 2584/1 | 0.117 |
| 2584/2 | 0.486 |
| 2585/1<br>2588/2 | 0.040 |
| 2585/2<br>2588/4 | 0.081 |
| 2586 | 0.081 |
| 2596 | 0.008 |
| 2600 | 0.028 |
| 2602/2 | 0.004 |
| 2603 | 1.113 |
| 2604/1 | 0.012 |
| 2605 | 0.061 |
| 2606/1 | 0.097 |
| 2606/2 | 0.170 |
| 2612 | 0.101 |
| योग 141 | 15.819 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एन.टी.पी.सी. सीपत परियोजना.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2002

क्रमांक/भू-अर्जन/07/अ-82 2001-2002—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित 1894 सार्वजनिक

प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 एवं सहपठित धारा 17 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिलासपुर
- (ग) नगर/ग्राम-खैरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.989 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 368/2 | 0.008 |
| 368/3 | 0.012 |
| 368/14, 878/10 | 0.045 |
| 368/20, 878/16 | 0.081 |
| 368/21, 878/17 | 0.097 |
| 368/22, 878/18 | 0.109 |
| 680 | 0.004 |
| 681/1, 715/1 | 0.012 |
| 706 | 0.016 |
| 707/1 | 0.081 |
| 707/2 | 0.231 |
| 709, 710 | 0.012 |
| 711 | 0.097 |
| 712 | 0.157 |
| 713/1 | 0.109 |
| 713/2 | 0.138 |
| 714/2, 716 | 0.121 |
| 717 | 0.179 |
| 718 | 0.101 |
| 719/2 | 0.085 |
| 726 | 0.008 |
| 730/1 | 0.036 |
| 730/2 | 0.053 |
| 731 | 0.138 |
| 732 | 0.105 |
| 733 | 0.214 |
| 734/1 | 0.081 |
| 734/2 | 0.186 |
| 748/2 | 0.024 |
| 748/3 | 0.085 |
| 751 | 0.121 |
| 752 | 0.138 |
| 758 | 0.089 |
| 759/1 | 0.191 |
| 759/3 | 0.421 |
| 759/6 | 0.073 |
| 760/1, 761/1 | 0.210 |
| 760/2, 761/2 | 0.226 |
| 760/3, 761/3 | 0.259 |
| 763/1 | 0.045 |
| 763/2 | 0.138 |
| 763/4 | 0.061 |
| 763/3 | 0.179 |
| 764/2 | 0.142 |
| 764/1 | 0.008 |
| 842 | 0.073 |
| 843/1 | 0.020 |
| 843/2 | 0.081 |
| 844/2, 845/1 | 0.162 |
| 844/1, 845/2 | 0.065 |
| 846 | 0.016 |
| 847 | 0.020 |
| 851/2 | 0.016 |
| 852 | 0.020 |
| 853 | 0.049 |
| 857 | 0.081 |
| 858 | 0.081 |
| 859 | 0.081 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 860 | 0.016 |
| 861/1 | 0.089 |
| 861/2 | 0.089 |
| 861/3 | 0.121 |
| 864/2 | 0.032 |
| 865 | 0.040 |
| 866 | 0.121 |
| 872/2 | 0.061 |
| 873 | 0.040 |
| 876/1 क/1 | 0.048 |
| 876/1 क/2 | 0.048 |
| 876/1 ख | 0.397 |
| 876/12 | 0.024 |
| 876/10 | 0.008 |
| 877/1 | 0.142 |
| 877/2 | 0.186 |
| 877/3 | 0.081 |
| 878/2 | 0.364 |
| 878/3 | 0.040 |
| 878/7 | 0.028 |
| 876/5 | 0.004 |
| 878/14 | 0.061 |
| 878/12 | 0.129 |
| 878/28 | 0.016 |
| 368/17<br>878/13 | 0.081 |
| 975 | 0.032 |
| योग 84 | 7.989 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एन.टी.पी. सी. सीपत परियोजना रेल्वे सायडिंग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2002

क्रमांक/भू-अर्जन/प्रकरण क्रमांक 19/अ-82/2001-2002—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 एवं सहपठित धारा 17 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-मस्तूरी

(ग) नगर/ग्राम-पंधी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-12.552 हेक्टेयर

महाल नं. 1

ग्राम पंधी प. ह. नं. 27 तहसील मस्तूरी जिला बिलासपुर

| खसरा नम्बर<br>(1) | रकबा<br>(हेक्टेयर में)<br>(2) |
|---|---|
| 480/3 | 0.202 |
| 481/1 | 0.109 |
| 481/2 | 0.109 |
| 481/3 | 0.065 |
| 496 | 0.347 |
| 497/1 | 0.008 |
| 497/2 | 0.121 |
| 498 | 0.283 |
| 499/1 | 0.008 |
| 499/2 | 0.234 |
| 499/3 | 0.162 |
| 500 | 0.121 |
| 501/1 | 0.198 |
| 501/4 | 0.166 |
| 501/5 | 0.053 |
| 503/2 | 0.008 |
| 509/3 | 0.024 |
| 507/3 | 0.121 |
| 507/4 | 0.162 |
| 508 | 0.324 |
| 516/2 | 0.061 |
| 516/6 | 0.020 |
| 517 | 0.388 |
| 527/2 | 0.061 |
| 528/1 | 0.162 |
| 528/2 | 0.020 |
| 529 | 0.121 |
| 530 | 0.210 |
| 531 | 0.328 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 532 | 0.121 |
| 533 | 0.061 |
| 534 | 0.028 |
| 537/1 | 0.324 |
| 537/2 | 0.162 |
| 537/3 | 0.214 |
| 537/4 | 1.129 |
| 537/5 | 0.425 |
| 537/7 | 0.890 |
| 537/9 | 1.149 |
| 538/6 | 0.061 |
| 566/2 | 0.466 |
| 566/4 | 0.040 |
| 567/1 | 0.142 |
| 567/2 | 0.243 |
| 567/3 | 0.020 |
| 568 | 0.012 |
| 569/2 | 0.182 |
| 569/4 | 0.004 |
| 569/5 | 0.012 |

महाल नं. 2
ग्राम पंधी

| | |
|---|---|
| 489/1 | 0.833 |
| 491 | 0.134 |
| 492/1 | 0.004 |
| 492/2 | 0.255 |
| 493/1 | 0.348 |
| 493/2 | 0.085 |
| 496/1 | 0.259 |
| 496/4 | |
| 496/2 | 0.081 |
| 496/3 | 0.049 |
| 497/1 | 0.020 |
| 498 | 0.263 |
| 497/2 | 0.340 |
| योग 60 | 12.552 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एन.टी.पी. सी. सीपत परियोजना रेल्वे सायडिंग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), विलासपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.

विलासपुर, दिनांक 8 सितम्बर 2002

क्रमांक 03/4-82/2001-2002—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-सल्का
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.010 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 283/2 | 0.073 |
| 281/3 | 0.040 |
| 284 | 0.024 |
| 392/1 | 0.065 |
| 392/2 | |
| 394/1 | 0.085 |
| 394/2 | 0.077 |
| 395 | 0.162 |
| 390 | 0.040 |
| 396/1 | 0.077 |
| 397/1 | 0.105 |
| 397/2 | |
| 388 | 0.320 |
| 389 | |
| 379/7 | 0.008 |
| 386/1 | 0.012 |
| 379/4 | 0.057 |
| 383/3 | 0.012 |
| 383/1 | 0.105 |
| 383/4 | 0.020 |
| 387/3 | 0.259 |
| 387/4 | 0.024 |
| 387/5 | 0.004 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 381/2 | 0.016 |
| 379/3 | 0.121 |
| 379/9 | 0.153 |
| 281/1 | 0.150 |
| योग 24 | 2.010 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सल्का उद्वहन सिंचाई योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण आ. वि. अ. (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2002

क्रमांक 04/अ-82/2001-2002—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-नवागांव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.012 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 675/2 | 0.053 |
| 684/3 | 0.073 |
| 676/1 | 0.008 |
| 684/2 क | 0.089 |
| 675/1 | 0.053 |
| 684/1 | 0.008 |
| 684/4 | 0.020 |
| 696 | 0.385 |
| 698/2 | 0.230 |
| 698/1 | 0.202 |
| 673/1 | 0.065 |
| 821/1 | 0.012 |
| 821/2 | 0.053 |
| 821/3 | 0.061 |
| 684/2 ग | 0.073 |
| 822/1 | 0.012 |
| 822/2 | 0.008 |
| 883 | 0.053 |
| 823 | 0.065 |
| 873/1 | 0.134 |
| 882 | 0.065 |
| 873/4 | 0.053 |
| 878/1 | 0.040 |
| 878/2 | 0.024 |
| 879/1 | 0.049 |
| 879/4 | 0.020 |
| 879/3 | 0.032 |
| 698/3 | 0.073 |
| योग 28 | 2.012 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सल्का उद्वहन सिंचाई योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण आ. वि. अ. (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2002

क्रमांक 05/अ-82/2001-2002—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित अधिनियम, 1984की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-कोटा

(ग) नगर/ग्राम-कुरूवार

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.761 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 443/2 | 0.040 |
| 120 | 0.032 |
| 79/2 | 0.057 |
| 83 | 0.024 |
| 104/2 | 0.032 |
| 119 | 0.049 |
| 114 | 0.045 |
| 117 | 0.040 |
| 111/2 | 0.040 |
| 425/1 | 0.133 |
| 98/2 | 0.045 |
| 429 | 0.045 |
| 111/1 | 0.065 |
| 112 | 0.061 |
| 111/3 | 0.049 |
| 104/1 | 0.032 |
| 79/1 | 0.004 |
| 79/3 | 0.045 |
| 140/5 | 0.012 |
| 101 | 0.117 |
| 90 | 0.133 |
| 65/1 | 0.004 |
| 65/2 | 0.065 |
| 75/1 | 0.073 |
| 76/1 | 0.008 |
| 401/2 | 0.045 |
| 82 | 0.057 |
| 85/1 | 0.020 |
| 85/2 | 0.016 |
| 99 | 0.040 |
| 100/1 | 0.057 |
| 140/1 | 0.020 |
| 75/2 | 0.036 |
| 76/3 | 0.049 |
| 431/4 | 0.069 |
| 443/1 | 0.049 |
| 425/8 | 0.008 |
| 424/5 | 0.028 |
| 351 | 0.020 |
| 431/3 | 0.057 |
| 442 | 0.057 |
| 424/2 | 0.032 |
| 353 | 0.053 |
| 76/6 | 0.065 |
| 444 | 0.045 |
| 450/4 | 0.024 |
| 443/3 | 0.008 |
| 445 | 0.008 |
| 439/2 | 0.016 |
| 425/4 | 0.036 |
| 425/5 | 0.040 |
| 431/1 | 0.154 |
| 58/1 | 0.016 |
| 400 | 0.085 |
| 59 | 0.057 |
| 58/2 | 0.036 |
| 424/4 | 0.024 |
| 58/3 | 0.012 |
| 402/2 | 0.024 |
| 403 | 0.032 |
| 424/1 | 0.028 |
| 424/3 | 0.045 |
| योग 62 | 2.761 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खोंगसरा व्यपवर्तन योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण आ. वि. अ. (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**आर. पी. मण्डल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.**

बिलासपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2002

क्रमांक 21/अ-82/2001-2002—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
(ग) नगर/ग्राम-बारीउमराव
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.166 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 448 | 0.227 |
| 474 | 0.061 |
| 477 | 0.028 |
| 220 | 0.081 |
| 221 | |
| 223 | 0.061 |
| 466/1 | 0.020 |
| 135/2 | 0.020 |
| 136/1 | |
| 135/1 | 0.178 |
| 475/2 | 0.174 |
| 473 | 0.053 |
| 161/2 | 0.065 |
| 209 | 0.065 |
| 210 | 0.020 |
| 219/1 ख | 0.259 |
| 447 | 0.150 |
| 161/1 | 0.016 |
| 476 | 0.162 |
| 133/1 | 0.073 |
| 163 | 0.162 |
| 222/1 | 0.089 |
| 161/3 | 0.129 |
| 465 | 0.073 |
| योग 21 | 2.166 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घाघरा जलाशय शाखा नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2002

क्रमांक 31/अ-82/2001-2002—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
(ग) नगर/ग्राम-पतरकोनी, प. ह. नं. 25
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.179

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 1/4 | 0.028 |
| 30 | 0.165 |
| 7/1 | 0.109 |
| 32 | 0.057 |
| 7/2 | 0.194 |
| 6 | 0.113 |
| 33 | 0.057 |
| 5/2 | 0.117 |
| 4/3 | 0.044 |
| 12 | 0.057 |
| 35/3 | 0.044 |
| 35/4 | 0.194 |
| योग 12 | 1.179 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मल्हनिया जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2002

क्रमांक 35/अ-82/2001-2002—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1984) संशोधित की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-घाघरा, प. ह. नं. 32
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.131 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 20/1/1 | 0.053 |
| 26/2 | 0.162 |
| 19/2 | 0.065 |
| 20/2/1 | 0.081 |
| 19/1 | 0.024 |
| 19/5 | 0.016 |
| 20/2/2 | 0.198 |
| 18 | 0.947 |
| 23 | 0.518 |
| 97 | 0.057 |
| 22/1स | 0.687 |
| 22/1 | |
| 118/5 | 0.040 |
| 24 | 0.332 |
| 21 | 0.117 |
| 20/1/2 | 0.049 |
| 19/3 | 0.073 |
| 19/4 | 0.040 |
| 19/6 | 0.081 |
| 22/1 ज | 0.591 |
| योग 20 | 4.131 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घाघरा जलाशय स्पिल चैनल हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**आर. पी. मण्डल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.**

---

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चाम्पा छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 सितम्बर 2002

क्रमांक 577/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-अकलतरा
- (ग) नगर/ग्राम-पोड़ी, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.170 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 1179 | 0.170 |
| योग 1 | 0.170 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पोड़ी माइनर नं. 2 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 सितम्बर 2002

क्रमांक 578/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-धिवरा, प. ह. नं. 24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.695 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 532 | 0.008 |
| 533 | 0.024 |
| 534 | 0.028 |
| 535 | 0.049 |
| 536 | 0.073 |
| 537/1 | 0.040 |
| 523/2 | 0.004 |
| 522 | 0.045 |
| 521 | 0.049 |
| 519 | 0.036 |
| 518 | 0.032 |
| 517 | 0.040 |
| 516 | 0.081 |
| 505 | 0.166 |
| 508 | 0.065 |
| 507 | |
| 636 | 0.028 |
| 635 | 0.113 |
| 632/1 | 0.073 |
| 632/2 | 0.049 |
| 631/2 | 0.005 |
| 631/1 | 0.085 |
| 657/1 | 0.162 |
| 663/3 | 0.113 |
| 664 | 0.101 |
| 666 | 0.073 |
| 667 | 0.073 |
| योग 26 | 1.695 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-किकिरदा माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 सितम्बर 2002

क्रमांक 579/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-धिवरा, प. ह. नं. 24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.352 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 1708/4 | 0.049 |
| 1876/1 | 0.032 |
| 1877/1 | 0.012 |
| 1877/2 | 0.028 |
| 1885/2 | 0.073 |
| 1885/3 | 0.081 |
| 1919 | 0.028 |
| 1918 | 0.028 |
| 1917 | 0.049 |
| 1916 | 0.057 |
| 1915 | 0.049 |
| 1914 | 0.024 |
| 1965/1<br>1965/2 | 0.121 |
| 1964 | 0.174 |
| 1961 | 0.129 |
| 1958 | 0.053 |
| 1959 | 0.053 |
| 1955/1 | 0.040 |
| 1955/4 | 0.045 |
| 1955/2 | 0.053 |
| 1955/3 | 0.061 |
| 1947 | 0.097 |
| 1948<br>1949 | 0.016 |
| योग 23 | 1.352 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-किकिरदा माइनर नं. 2 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 सितम्बर 2002

क्रमांक 580/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-बिर्रा, प. ह. नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.545 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 3091 | 0.020 |
| 3092 | 0.020 |
| 3112 | 0.036 |
| 3111 | 0.040 |
| 3094/2 | 0.040 |
| 3094/1 | 0.008 |
| 3095<br>3096<br>3098 | 0.129 |
| 3100 | 0.046 |
| 3103 | 0.081 |
| 3104 | 0.182 |
| 3078/1<br>3878/2 | 0.036 |
| 3269 | 0.158 |
| 3268 | 0.097 |
| 3266 | 0.117 |
| 3254 | 0.097 |
| 3253 | 0.081 |
| 3257 | 0.008 |
| 3252 | 0.121 |
| 3429<br>3428 | 0.101 |
| 3422 | 0.008 |
| 3423 | 0.101 |
| 3421 | 0.040 |
| 3420 | 0.117 |
| 3424 | 0.016 |
| 3419 | 0.061 |
| 3418 | 0.061 |
| 3417 | 0.057 |
| 3415 | 0.065 |
| 3574 | 0.105 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 3574 | 0.105 |
| 3575 | 0.024 |
| 3578 | 0.202 |
| 3570/1 | 0.101 |
| 3580 | 0.170 |
| योग 33 | 2.545 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बसंतपुर माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 सितम्बर 2002

क्रमांक 581/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-बसंतपुर, प. ह. नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.049 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 256 | 0.109 |
| 254/4, 255/4, 244/2, 266/2 | 0.409 |
| 244/1, 266/1 | 0.121 |
| 244/3, 266/3 | 0.223 |
| 243/1, 243/2 | 0.344 |
| 354/4 | 0.121 |
| 354/5 | 0.057 |
| 273/2 | 0.081 |
| 273/1 | 0.134 |
| 274/1, 400, 377 | 0.117 |
| 275 | 0.117 |
| 397 | 0.081 |
| 354/9 | 0.073 |
| 354/10 | 0.073 |
| 354/13 | 0.012 |
| 351 | 0.089 |
| 352 | 0.105 |
| 349/1, 349/2 | 0.081 |
| 356 | 0.097 |
| 255 | 0.138 |
| 380 | 0.073 |
| 379 | 0.057 |
| 378 | 0.073 |
| 399 | 0.073 |
| 376/2 | 0.049 |
| 389 | 0.004 |
| 408/1, 409/1 | 0.049 |
| 408/2, 409/2 | 0.049 |
| 410 | 0.012 |
| 428 | 0.028 |
| योग 30 | 3.049 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बसंतपुर माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 सितम्बर 2002

क्रमांक 582/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-करनौद, प. ह. नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.045 हेक्टेयर

| | खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| | 1416/1 | 0.045 |
| योग | 1 | 0.045 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बंसुला माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 सितम्बर 2002

क्रमांक 583/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-कमरीद, प. ह. नं. 4
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.478 हेक्टेयर

| | खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| | 876/4 | 0.028 |
| | 876/2 | 0.073 |
| | 876/5 | 0.065 |
| | 848/35 | 0.401 |
| | 906 | 0.069 |
| | 907/1 | 0.024 |
| | 907/2 | 0.057 |
| | 908/1 | 0.016 |
| | 909 | 0.194 |
| | 938 | 0.065 |
| | 910 | 0.053 |
| | 911 | 0.032 |
| | 946 | 0.024 |
| | 944 | 0.028 |
| | 943 | 0.089 |
| | 942 | 0.061 |
| | 940 | 0.049 |
| | 939 | 0.150 |
| योग | 18 | 1.478 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-फरसवानी उप-शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 सितम्बर 2002

क्रमांक 584/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-सोठी, प. ह. नं. 6

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.282 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 229 | 0.028 |
| 678 | 0.081 |
| 679 | 0.016 |
| 230 | 0.028 |
| 231/1 | 0.012 |
| 231/2 | 0.012 |
| 689/2 | 0.012 |
| 233/1 | 0.052 |
| 234 | |
| 233/2 | 0.030 |
| 235 | 0.040 |
| 236 | |
| 709 | 0.032 |
| 237 | 0.032 |
| 238/1 | 0.061 |
| 238/2 | |
| 416/1 | 0.85 |
| 416/3 | 0.049 |
| 417/2 | 0.081 |
| 418/2 | 0.121 |
| 419/2 | 0.089 |
| 419/3 | 0.089 |
| 419/5 | 0.065 |
| 420/1 | 0.073 |
| 425 | 0.016 |
| 420/2 | 0.081 |
| (1) | (2) |
| 420/3 | 0.077 |
| 421/2 | 0.243 |
| 422 | 0.065 |
| 424 | 0.004 |
| 423 | 0.028 |
| 426 | 0.105 |
| 427/4 | 0.081 |
| 432 | 0.435 |
| 433 | 0.175 |
| 434/1 | 0.077 |
| 437 | |
| 440 | 0.121 |
| 439 | |
| 438 | 0.081 |
| 531 | 0.049 |
| 532 | 0.105 |
| 681 | 0.081 |
| 683 | 0.072 |
| 682 | 0.072 |
| 771 | 0.085 |
| 692 | 0.049 |
| 693/1 | 0.028 |
| 693/2 | 0.028 |
| 756/1 | 0.020 |
| 693 | 0.028 |
| 694/1 | 0.008 |
| 695/1 | 0.028 |
| 696 | |
| 695/2 | 0.051 |
| 770/2 | 0.069 |
| 707 | 0.040 |
| 708 | 0.142 |
| 804 | 0.240 |
| 723 | 0.057 |
| 775 | 0.040 |
| 773 | 0.101 |
| 724 | 0.150 |
| 228 | |
| 725 | 0.061 |
| 729 | 0.012 |
| 739 | 0.121 |
| 740/1 | 0.065 |
| 741 | 0.024 |
| 744/1 | 0.135 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 747/1 | 0.008 |
| 756/2 | 0.040 |
| 757/1 | 0.069 |
| 757/2 | 0.075 |
| 758 | 0.032 |
| 759/1 | 0.008 |
| 760/1 | 0.040 |
| 760/2 | 0.040 |
| 760/3 | 0.049 |
| 760/4 | 0.065 |
| 769 | 0.004 |
| 802 | 0.214 |
| योग 75 | 5.282 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-शक्ती वितरक नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 सितम्बर 2002

क्रमांक 585/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-नन्दौर कला, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.574 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 39 | 0.020 |
| 41 | 0.170 |
| 42 | 0.150 |
| 48 | 0.101 |
| 49 | |
| 51 | 0.032 |
| 52 | 0.008 |
| 53 | 0.008 |
| 46/2 | 0.085 |
| 46/3 | |
| योग 8 | 0.574 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-असौंडा माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 सितम्बर 2002

क्रमांक 586/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-गुजकुलिया, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.247 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 1/1 | 0.061 |
| 1/2 | 0.061 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 1/3 | 0.004 |
| 11 | 0.032 |
| 84 | 0.008 |
| 85 | 0.040 |
| 86/1 | 0.008 |
| 86/2 | 0.061 |
| 86/3 | 0.133 |
| 32 | 0.008 |
| 94/1 | 0.032 |
| 94/2 | 0.012 |
| 95/3 | 0.004 |
| 93 | 0.057 |
| 35 | 0.008 |
| 36 | 0.008 |
| 38/1 | 0.004 |
| 77/4 | 0.049 |
| 77/3 | 0.143 |
| 77/1 | 0.109 |
| 77/2 | 0.020 |
| 122 | 0.004 |
| 123 | 0.053 |
| 124/2 | 0.049 |
| 125/3 | 0.028 |
| 125/4 | 0.061 |
| 138 | 0.004 |
| 139 | 0.036 |
| 140 | 0.008 |
| 141 | 0.012 |
| 142 | 0.057 |
| 143 | 0.044 |
| 145 | 0.069 |
| 146 | 0.032 |
| 147 | 0.012 |
| 148 | 0.004 |
| 149 | 0.028 |
| 150 | 0.020 |
| 151 | 0.040 |
| 152 | 0.012 |
| 153 | 0.024 |
| 121/1 | 0.036 |
| 121/2 | 0.097 |
| 120 | 0.053 |
| 121/3 | 0.040 |
| 139 | 0.016 |
| 121/4 | 0.024 |
| 135 | 0.045 |
| 140 | 0.012 |
| 175/3 | 0.182 |
| 175/2 | 0.045 |
| 197 | 0.101 |
| 218 | 0.024 |
| 220 | 0.065 |
| 221 | 0.020 |
| 222 | 0.016 |
| 232/1 | 0.012 |
| योग 57 | 2.247 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गुचकुलिया माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 सितम्बर 2002

क्रमांक 587/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-नंदेली प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.547 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 376/2 | 0.012 |
| 636/1 | 0.044 |
| 633/3 | |
| 650 | 0.105 |
| 651/5 | 0.024 |
| 649 | 0.004 |
| 665 | 0.008 |
| 671 | 0.129 |
| 667 | 0.084 |
| 669/1 | 0.008 |
| 669/2 | 0.004 |
| 708 | 0.125 |
| योग 11 | 0.547 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कलमीडीह मांइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 सितम्बर 2002

क्रमांक 588/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-नन्देली, प. ह. नं. 10

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.675 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 471 | 0.032 |
| 470 | 0.032 |
| 485 | 0.045 |
| 486 | |
| 487 | |
| 469 | 0.097 |
| 477 | 0.036 |
| 478 | 0.061 |
| 467/2 | 0.008 |
| 480 | 0.008 |
| 481 | 0.069 |
| 482 | 0.053 |
| 465 | 0.004 |
| 464 | 0.008 |
| 462 | 0.125 |
| 458 | 0.057 |
| 459 | |
| 463 | |
| 461/1 | 0.032 |
| 460 | 0.008 |
| योग 16 | 0.675 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गुचकुलिया माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 सितम्बर 2002

क्रमांक 589/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-जैजैपुर
(ग) नगर/ग्राम-मलनी, प. ह. नं. 8
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.194 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 228 | 0.073 |
| 222 | 0.189 |
| 233 | 0.113 |
| 220 | 0.016 |
| 176 | 0.335 |
| 607 | 0.073 |
| 343 | 0.053 |
| 340 | 0.121 |
| 345 | 0.020 |
| 346 | 0.012 |
| 347 | 0.109 |
| 452 | 0.024 |
| 353 | 0.008 |
| 453 | 0.105 |
| 450 | 0.024 |
| 449 | 0.146 |
| 494 | 0.032 |
| 496 | 0.028 |
| 495 | 0.016 |
| 492 | 0.040 |
| 511 | 0.032 |
| 512 | 0.016 |
| 537 | 0.040 |
| 534 | 0.040 |
| 524 | 0.040 |
| 523 | 0.045 |
| 522 | 0.040 |
| 521 | 0.040 |
| 520 | 0.117 |
| 558 | 0.061 |
| 559 | 0.077 |
| 562 | 0.028 |
| 561 | 0.016 |
| 563 | 0.065 |
| योग 34 | 2.194 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सलनी माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 सितम्बर 2002

क्रमांक 590/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-जैजैपुर
(ग) नगर/ग्राम-केकराभांठ, प. ह. नं. 5
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.243 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 655/3 | 0.065 |
| 655/2 | 0.069 |
| 659/5 | 0.030 |
| 659/2 | 0.032 |
| 659/3 | 0.081 |
| 682 | 0.040 |
| 683 | 0.077 |
| 684 | 0.024 |
| 685 | 0.049 |
| 688 | 0.012 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 687 | 0.040 |
| 686/2 | 0.012 |
| 686/1 | 0.053 |
| 694 | 0.038 |
| 676/2 | 0.004 |
| 695 | 0.089 |
| 699 | 0.012 |
| 728 | 0.008 |
| 700/1 | 0.081 |
| 700/2 | 0.078 |
| 725/1 | 0.093 |
| 723 | 0.063 |
| 722 | 0.024 |
| 721/1 | 0.057 |
| 721/2 | 0.020 |
| 705 | 0.045 |
| 706 | 0.040 |
| 707 | 0.040 |
| 712/1 | 0.049 |
| 712/2 | 0.063 |
| 712/4 | 0.016 |
| 712/3 | 0.049 |
| 716 | 0.004 |
| 717 | 0.016 |
| 871 | 0.061 |
| 872 | 0.020 |
| 870 | 0.057 |
| 873 | 0.004 |
| 868 | 0.040 |
| 878 | 0.028 |
| 879 | 0.073 |
| 880 | 0.036 |
| 881 | 0.061 |
| 901 | 0.133 |
| 903 | 0.012 |
| 904 | 0.024 |
| 898 | 0.004 |
| 909/1 | 0.024 |
| 910 | 0.008 |
| 911 | 0.028 |
| 914/2 | 0.022 |
| 914/3 | 0.097 |
| 912 | 0.040 |
| योग 53 | 2.243 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मुरलीडीह उप शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 सितम्बर 2002

क्रमांक 591/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-भोथीडीह प. ह. नं. 5

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.436 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर<br>(1) | रकबा<br>(हेक्टेयर में)<br>(2) |
|---|---|
| 80 | 0.125 |
| 87/2 | 0.032 |
| 89/2 | 0.020 |
| 88/1 | 0.040 |
| 92/1 ख | 0.040 |
| 94 | 0.049 |
| 93 | 0.020 |
| 98 | 0.061 |
| 99 | 0.004 |
| 107/1 | 0.133 |
| 196/1 ख | 0.040 |
| 411/3 | 0.020 |
| 412/1, 2 | 0.202 |
| 414/2<br>414/3 | 0.081 |
| 416/2 | 0.012 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 411/7 | 0.061 |
| 414/9 | 0.057 |
| 414/5 | 0.061 |
| 415/5 | 0.008 |
| 415/3 | 0.081 |
| 415/8 | 0.040 |
| 415/1 | 0.016 |
| 386 | 0.040 |
| 382/1 | 0.032 |
| 381/4 | 0.040 |
| 381/3 | 0.024 |
| 365/3 | 0.065 |
| 370 | 0.032 |
| योग 28 | 1.436 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मुरलीडीह उप शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 सितम्बर 2002

क्रमांक 592/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-बरदुली, प. ह. नं. 37

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.710 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 418 | 0.618 |
| 439/1 | 0.036 |
| 439/2 | 0.085 |
| 438/4 | 0.004 |
| 438/5 | 0.053 |
| 438/6 | 0.072 |
| 463 | 0.151 |
| 462/1 | 0.280 |
| 462/2 | 0.043 |
| 473/1 | 0.040 |
| 474/1 | 0.049 |
| 472/1 | 0.040 |
| 472/2 | |
| 471 | 0.012 |
| 470 | 0.024 |
| 468/1 | 0.064 |
| 469 | 0.064 |
| 477/2 | |
| 477/1 | 0.016 |
| 468/2 | 0.072 |
| 468/3 | 0.068 |
| 514/2 | 0.069 |
| 514/1 | 0.008 |
| 513 | 0.081 |
| 512 | 0.061 |
| 511 | 0.040 |
| 510 | 0.720 |
| 509 | |
| 500 | 0.016 |
| 501 | 0.008 |
| 499/3 | 0.053 |
| 499/4 | 0.040 |
| 540/1 | 0.123 |
| 540/2 | 0.060 |
| 537 | 0.020 |
| 538 | 0.037 |
| 535/1 | 0.156 |
| 531 | 0.044 |
| 530/1 | 0.113 |
| 555/2 | 0.004 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 555/1 | 0.032 |
| 555/3 | 0.105 |
| 556/1 | 0.018 |
| 556/2 | 0.010 |
| 557 | 0.459 |
| 660 661 | 0.125 |
| 662 | 0.020 |
| 663/1 | 0.101 |
| 665 | 0.145 |
| 664 | 0.257 |
| 678/1 | 0.202 |
| 672 | 0.012 |
| 673 | 0.069 |
| 674 | 0.061 |
| 675 | 0.040 |
| 677/1 | 0.036 |
| 677/2 | 0.220 |
| 685 | 0.101 |
| 686/2 | 0.145 |
| 899 | 0.032 |
| 900 | 0.004 |
| 469 | 0.064 |
| 540/3 | 0.008 |
| योग 60 | 5.710 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बरदुली वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 सितम्बर 2002

क्रमांक 593/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
   (ख) तहसील-सक्ती
   (ग) नगर/ग्राम-मसनिया कला, प. ह. नं. 6
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.364 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 596 | 0.020 |
| 597/1 | 0.053 |
| 595 | 0.154 |
| 594 | 0.075 |
| 592 | 0.117 |
| 593 | 0.101 |
| 713 | 0.138 |
| 714 | 0.016 |
| 790 | 0.226 |
| 799 | 0.069 |
| 798 | 0.081 |
| 797 | 0.080 |
| 796 | 0.044 |
| 817 | 0.214 |
| 815 | 0.008 |
| 814 | 0.028 |
| 829 | 0.202 |
| 830 | 0.049 |
| 831 | 0.008 |
| 839 | 0.039 |
| 838 | 0.120 |
| 841 | 0.032 |
| 842 | 0.012 |
| 843 | 0.061 |
| 834 | 0.081 |
| 844 | 0.053 |
| 845 | 0.036 |
| 866 | 0.036 |
| 864 | 0.024 |
| 863 | 0.069 |
| 860 | 0.045 |
| 861 | 0.012 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 859 | 0.061 |
| योग 33 | 2.364 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रतनपाली माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 सितम्बर 2002

क्रमांक 594/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-सेन्दरी, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.747 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर<br>(1) | रकबा (हेक्टेयर में)<br>(2) |
|---|---|
| 82 | 0.004 |
| 81 | 0.101 |
| 38/2 | 0.202 |
| 34/4 | 0.040 |
| 34/5 | 0.016 |
| 34/2 | 0.016 |
| 35 | 0.035 |
| 23/1 | 0.022 |
| 32/3-4 | 0.105 |
| 32/2 ख | 0.121 |
| 223/6 ख | 0.020 |
| 223/6 ग | 0.008 |
| 223/1 घ | 0.032 |
| 223/1 क | 0.040 |
| 226 | 0.065 |
| 227 | 0.101 |
| 225 | 0.032 |
| 223/2 | 0.020 |
| 219/1 | 0.089 |
| 219/2 | 0.020 |
| 219/3 | 0.045 |
| 221 | 0.105 |
| 295 | 0.004 |
| 293/2 | 0.008 |
| 294/2, 294/3 | 0.085 |
| 294/1 | 0.028 |
| 291/2 | 0.045 |
| 291/1 | 0.036 |
| 272/2 | 0.040 |
| 273/2 | 0.065 |
| 287 | 0.040 |
| 290 | 0.008 |
| 285 | 0.016 |
| 288 | 0.036 |
| 305/2 | 0.085 |
| 304/1 | 0.081 |
| 304/5 | 0.081 |
| 339/1 | 0.008 |
| 338 | 0.089 |
| 336/2 | 0.073 |
| 331/1 | 0.008 |
| 336/4 | 0.081 |
| 331/2 | 0.040 |
| 330 | 0.101 |
| 323 | 0.032 |
| 324 | 0.024 |
| 320, 321 | 0.308 |
| 443 | 0.032 |
| 444 | 0.024 |
| 445, 446 | 0.057 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 447 | 0.036 |
| 451 | 0.065 |
| 452 | 0.101 |
| 453 | 0.036 |
| योग | 2.747 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पुटेकेला उप वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 सितम्बर 2002

क्रमांक 595/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-भोथिया, प. ह. नं. 5

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.527 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 1750/2 | 0.012 |
| 1750/1 | 0.024 |
| 1764 | 0.020 |
| 1776/1 | 0.028 |
| 1765 | 0.069 |
| 1767 | 0.032 |
| 1773 | 0.016 |
| 1775 | 0.012 |
| 1776/2 | 0.032 |
| 1781 | 0.049 |
| 1786 | 0.040 |
| 1787 | 0.004 |
| 1785/1 | 0.040 |
| 1785/2 | 0.012 |
| 1752 | 0.073 |
| 1788 | 0.024 |
| 1774 | 0.024 |
| 1783 | 0.016 |
| योग 17 | 0.527 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मलनी माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 सितम्बर 2002

क्रमांक 596/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-ठूठी, प. ह. नं. 18

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.508 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 634 | 0.105 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 633/2 | 0.008 |
| 633/3 | 0.061 |
| 629/3 | 0.061 |
| 627 | 0.065 |
| 626 | 0.187 |
| 625 | 0.081 |
| 621/7 | 0.087 |
| 621/6 | 0.089 |
| 621/10 | 0.083 |
| 621/11 | 0.120 |
| 621/14 | 0.084 |
| 621/15 | 0.109 |
| 622/1 | 0.020 |
| 621/23, 621/22, 621/31 | 0.216 |
| 630/1 | 0.012 |
| 629/4, 633/1 | 0.120 |
| योग 18 | 1.508 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ठूठी सब माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 सितम्बर 2002

क्रमांक 597/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-ठठारी, प. ह. नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.165 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 1945 | 0.133 |
| 1913/3 | 0.057 |
| 1937/1 | 0.028 |
| 1938 | 0.080 |
| 1939/1 | 0.032 |
| 1931/1, 1930 | 0.045 |
| 2621 | 0.081 |
| 2593/6 | 0.011 |
| 2595/1, 2596/1 | 0.017 |
| 2606/2, 2606/1 | 0.007 |
| 2597, 2598 | 0.052 |
| 2599/3 | 0.066 |
| 2564/3 | 0.049 |
| 2517 | 0.026 |
| 2741/1, 2 | 0.101 |
| 2508/2,1,5 | 0.132 |
| 2503 | 0.015 |
| 2504 | 0.052 |
| 2496 | 0.053 |
| 2499 | 0.033 |
| 2492 | 0.036 |
| 2493 | 0.027 |
| 2490 | 0.032 |
| योग 23 | 1.165 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सोनसरी सब माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 सितम्बर 2002

क्रमांक 598/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-दतौद, प. ह. नं. 7

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.865 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 805/2 | 0.125 |
| 805/3 | 0.012 |
| 792/1 | 0.214 |
| 793 | 0.004 |
| 795/1 | 0.137 |
| 499 | 0.365 |
| 507 | 0.008 |
| योग 7 | 0.865 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खैरागढ़ सब माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 सितम्बर 2002

क्रमांक 597/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-माल खरौदा

(ग) नगर/ग्राम-खरताल, प. ह. नं. 9

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.676 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 30/1 | 0.044 |
| 36/2 | 0.093 |
| 37 | 0.295 |
| 38 | 0.049 |
| 39 | 0.178 |
| 41/2 | 0.020 |
| 42/1 | 0.327 |
| 42 | |
| 43 | 0.069 |
| 44 | 0.619 |
| 98 | 0.344 |
| 97/1 | 0.004 |
| 69/1 | 0.117 |
| 69/4 | 0.170 |
| 69/3 | 0.238 |
| 69/2 | 0.024 |
| 70 | 0.060 |
| 78 | 0.320 |
| 60/2 | 0.065 |
| 72/6 | 0.020 |
| 58/4 | 0.178 |
| 58/1 | 0.080 |
| 58/2 | 0.121 |
| 73/2 | 0.518 |
| 58/5 | 0.032 |
| 74/1 | 0.065 |
| 75/1 | 0.012 |
| 55/1 | 0.113 |
| 55/4 | 0.303 |
| 55/5 | 0.101 |
| 55/3 | 0.097 |
| योग 30 | 4.676 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन। जिसके लिए आवश्यकता है-कुरदा शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 सितम्बर 2002

क्रमांक 600/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-माल खरौदा
(ग) नगर/ग्राम-छतौना, प. ह. नं.1
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.976 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 50/11 | 0.101 |
| 50/3 | 0.012 |
| 50/2 | 0.052 |
| 50/4 | 0.310 |
| 50/1 | 0.194 |
| 50/8 | 0.125 |
| 50/9 | 0.235 |
| 50/12 | 0.052 |
| 42/14 | 0.198 |
| 42/13 | 0.012 |
| 42/12 | 0.165 |
| 42/11 | 0.133 |
| 42/8 | 0.004 |
| 42/9 | 0.020 |
| 51, 16/2, 16/6 | 0.173 |
| 16/9, 16/1 | 0.121 |
| 16/5 | 0.049 |
| 16/13, 16/14 | 0.020 |
| योग 18 | 1.976 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कुरदा वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 सितम्बर 2002

क्रमांक 601/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-जैजैपुर
(ग) नगर/ग्राम-आमगांव, प. ह. नं. 8
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.164 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 2905 | 0.040 |
| 2907 | 0.096 |
| 2908 | 0.008 |
| 2909 | 0.016 |
| 2917 | 0.040 |
| 2944 | 0.032 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 2940 | 0.020 |
| 2939 | 0.162 |
| 2938 | 0.198 |
| 2958 | 0.032 |
| 2959 | 0.069 |
| 2961 | 0.121 |
| 3262 | 0.093 |
| 3270/1 | 0.053 |
| 3270/2 | 0.053 |
| 3273/1 | 0.036 |
| 3273/2 | 0.101 |
| 3275 | 0.182 |
| 2807 | 0.048 |
| 2806 | 0.120 |
| 2824 | 0.024 |
| 2826 | 0.064 |
| 2866 | 0.056 |
| 2865 | 0.052 |
| 2875 | 0.061 |
| 2877 | 0.056 |
| 2876 | 0.040 |
| 2885 | 0.040 |
| 2887 | 0.008 |
| 2888 | 0.008 |
| 2886 | 0.016 |
| 2791 | 0.049 |
| 2892 | |
| 2894 | 0.040 |
| 2896 | 0.032 |
| 2899 | 0.032 |
| 2900 | 0.032 |
| 2906 | 0.030 |
| 2825 | 0.004 |
| योग 38 | 2.164 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कारी भंवर सब माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 सितम्बर 2002

क्रमांक 602/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) ज़िला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-भोथीडीह, प. ह. नं. 5

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.596 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 230/1 | 0.154 |
| 242/1 | |
| 243/1 | |
| 230/2 | 0.040 |
| 225/1 | 0.032 |
| 240/1 क | |
| 240/1 ख | |
| 240/2 क | 0.032 |
| 240/2 ख | |
| 231 | 0.016 |
| 241/8 | 0.073 |
| 241/2 | 0.024 |
| 244 | 0.008 |
| 246 | 0.008 |
| 248/1 ख | 0.008 |
| 253 | 0.012 |
| 255 | 0.040 |
| 260 | 0.080 |
| 256 | 0.004 |
| 257 | 0.065 |
| योग 15 | |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घोघीडीह माइनर नम्बर 3 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 7 सितम्बर 2002

क्रमांक 603/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-खजुरानी, प. ह. नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.420 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 139 | 0.065 |
| 140 | 0.077 |
| 155 | 0.073 |
| 154 | 0.040 |
| 153 | 0.065 |
| 171 | 0.097 |
| 172 | 0.032 |
| 177 | 0.105 |
| 836 | 0.561 |
| 831 | 0.305 |
| 10 | 1.420 |

(2) सा... जिसके लिए आवश्यकता है-खजुरानी माइ...

(3) भूमि का ...-अर्जन अधिकारी, हसदेव प... ...जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 7 सितम्बर 2002

क्रमांक 604/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-आमगांव, प. ह. नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.400 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 2189/2 | 0.076 |
| 2171 | 0.016 |
| 2170 | 0.036 |
| 2168 | 0.036 |
| 2167 | 0.068 |
| 2149 | 0.068 |
| 2147 | 0.020 |
| 2146 | 0.032 |
| 2145 | 0.024 |
| 2112 | 0.020 |
| 2096 | 0.050 |
| 2097 | 0.032 |
| 2111 | 0.024 |
| 2099 | 0.032 |
| 2100 | 0.052 |
| 2101 | 0.052 |
| 2102 | 0.016 |
| 2107 | 0.088 |
| 1544/2, 1544/3 | 0.020 |
| 1545/1 | 0.020 |
| 1547/2 | 0.020 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 1541/1 क, 1542, 1543, 2120/2 | 0.101 |
| 1540 | 0.036 |
| 1539/2 | 0.040 |
| 1566 | 0.090 |
| 1567 | 0.012 |
| 1528/1 | 0.012 |
| 1568/1 | 0.049 |
| 1577 | 0.036 |
| 1575 | 0.064 |
| 1579 | 0.008 |
| 1574 | 0.028 |
| 1581 | 0.020 |
| 1573 | 0.020 |
| 1582 | 0.024 |
| 1583 | 0.024 |
| 1512 | 0.008 |
| 1511 | 0.028 |
| 1508/1 | 0.028 |
| 1605, 1606 | 0.056 |
| 1609 | 0.068 |
| 1612, 1613 | 0.060 |
| 1480, 1481 | 0.024 |
| 1414/1 | 0.016 |
| 1479 | 0.008 |
| 1615 | 0.020 |
| 1616 | 0.056 |
| 1464/4 | 0.007 |
| 1464/2 | 0.180 |
| 1453 | 0.060 |
| 1454 | 0.064 |
| 1459 | 0.012 |
| 1435 | 0.052 |
| 1437/8 | 0.048 |
| 1431 | 0.032 |
| 1436 | 0.010 |
| 1464/3 | 0.030 |
| 1614/2 | 0.016 |
| 1482 | 0.010 |
| 1497 | 0.010 |
| 1498/1 | 0.010 |
| 1607 | 0.040 |
| 1608 | 0.020 |
| योग 70 | 2.400 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आमगांव सब माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 सितम्बर 2002

क्रमांक 605/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
 (ख) तहसील-जैजैपुर
 (ग) नगर/ग्राम-तुषार, प. ह. नं. 22
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.256 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 234 | 0.008 |
| 233 | 0.125 |
| 232 | 0.044 |
| 231 | 0.142 |
| 229 | 0.048 |
| 230 | 0.040 |
| 226/2 | 0.125 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 224/1,4 | 0.101 |
| 224/2 | 0.016 |
| 224/3 | 0.004 |
| 223 | 0.081 |
| 717 | 0.121 |
| 720 | 0.040 |
| 714/1 | 0.073 |
| 721 | 0.089 |
| 708 | 0.061 |
| 704 | 0.129 |
| 705 | 0.053 |
| 707 | 0.044 |
| 706 | 0.085 |
| 701 | 0.008 |
| 699 | 0.178 |
| 387 | 0.008 |
| 698 | 0.170 |
| 697 | 0.049 |
| 388/3 | 0.085 |
| 382/4 | 0.012 |
| 388/1 | 0.089 |
| 388/2 | 0.056 |
| 391 | 0.182 |
| 380 | 0.008 |
| 373/24 | 0.028 |
| 373/6 | 0.214 |
| 373/8 क | 0.012 |
| 373/7 | 0.368 |
| 373/5 | 0.117 |
| 373/8 ख | 0.004 |
| 415 | 0.081 |
| 416 | 0.012 |
| 414 | 0.299 |
| 417 | 0.089 |
| 418 | 0.125 |
| 412 | 0.061 |
| 582/1<br>582/2 | 0.117 |
| 580/2 | 0.008 |
| 580/3 | 0.121 |
| 581 | 0.077 |
| 557/1 | 0.089 |
| 557/1 | 0.089 |
| 557/2 | 0.089 |
| 554 | 0.263 |
| 558 | 0.282 |
| 560 | 0.146 |
| 545/2 | 0.004 |
| 540/3 | 0.089 |
| 540/2 | 0.101 |
| 539/3 | 0.121 |
| 228 | 0.008 |
| 227 | 0.053 |
| 737/2 | 0.004 |
| योग 59 | 5.256 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बरदुली वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 सितम्बर 2002

क्रमांक 606/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-जैजैपुर, प. ह. नं. 23
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.840 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 5486 | 0.115 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 5867/1 | 0.004 |
| 5488 | 0.052 |
| 5489 | 0.085 |
| 5487 | 0.095 |
| 5877 | 0.175 |
| 5878 | 0.004 |
| 5869 | 0.075 |
| 5875 | 0.024 |
| 5870 | 0.016 |
| 5871 | 0.135 |
| 5874 | 0.095 |
| 5873 | 0.151 |
| 5872/3 | 0.024 |
| 5881 | 0.016 |
| 5882 | 0.004 |
| 5883 | 0.036 |
| 5884 | 0.176 |
| 5885/1,3 | 0.020 |
| 5885/2 | 0.052 |
| 5907/1, 2 | 0.202 |
| 5912 | 0.081 |
| 5911 | 0.056 |
| 5914 | 0.008 |
| 5916/1, 2 | 0.101 |
| 5910 | 0.020 |
| 5917 | 0.061 |
| 5918 | 0.074 |
| 5919 \| 5922 | 0.172 |
| 5923/1,2 | 0.069 |
| 5974 | 0.045 |
| 5973/2 | 0.077 |
| 5972 | 0.093 |
| 5971/1 | 0.081 |
| 5936 | 0.008 |
| 5937 | 0.155 |
| 5938/1 | 0.121 |
| 5938/2 | 0.072 |
| 5939 | 0.097 |
| 5941/1, 2 | 0.145 |
| 5949 | 0.131 |
| 5950/2 | 0.024 |
| 5950/3, 4 | 0.081 |
| 5950/1 | 0.027 |
| 5948 | 0.210 |
| 5951 | 0.109 |
| 5952 | 0.089 |
| 5953 | 0.077 |
| योग 48 | 3.840 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बरदुली वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 सितम्बर 2002

क्रमांक 607/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-सलनी, प. ह. नं. 4
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.364 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 125/4 | 0.004 |
| 125/2 | 0.024 |
| 145 | 0.056 |
| 144 | 0.068 |
| 143 | 0.080 |
| 142 \| 108 | 0.100 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 128 | 0.144 |
| 291/1 | 0.020 |
| 119/3 | 0.096 |
| 272/3 | 0.024 |
| 110 | 0.048 |
| 109 | 0.060 |
| 107 | 0.012 |
| 291/2 | 0.044 |
| 189/1 | 0.012 |
| 89/2 | 0.044 |
| 87/1 | 0.068 |
| 80/2 | 0.092 |
| 81/1 | 0.140 |
| 81 | 0.044 |
| 78 | 0.016 |
| 77 | 0.024 |
| 335/2 | 0.064 |
| 334/3 | 0.080 |
| योग 23 | 1.314 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सलनी सब माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 सितम्बर 2002

क्रमांक 608/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-मलनी, प. ह. नं. 4
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.614 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 340 | 0.113 |
| 339 | 0.040 |
| 338 | 0.024 |
| 336 | 0.072 |
| 335 | 0.097 |
| 312 | 0.044 |
| 310 | 0.028 |
| 309 | 0.028 |
| 307/1,5 | 0.072 |
| 307/4 | 0.024 |
| 307/6 | 0.020 |
| 308 | 0.052 |
| योग 12 | 0.614 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सलनी सब माइनर नं 1 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 सितम्बर 2002

क्रमांक 609/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-कुटराबीड़, प. ह. नं. 36
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.052 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 773-1 | 0.077 |
| 775 | 0.024 |
| 776/1 | 0.202 |
| 826 | 0.012 |
| 827 | 0.101 |
| 828 | 0.101 |
| 822 | 0.146 |
| 821 | 0.146 |
| 820 | 0.004 |
| 819 | 0.077 |
| 815/1 | 0.032 |
| 815/2 | 0.081 |
| 809, 810 | 0.040 |
| 808, 806, 805, 811, 807 | 0.368 |
| 909 | 0.101 |
| 911 | 0.085 |
| 912/2 | 0.024 |
| 1154 | 0.024 |
| 1153 | 0.057 |
| 1155 | 0.012 |
| 1152 | 0.150 |
| 1149 | 0.008 |
| 1151 | 0.105 |
| 1127 | 0.223 |
| 1101 | 0.113 |
| 1102 | 0.045 |
| 1104 | 0.065 |
| 1105 | 0.065 |
| 1106 | 0.105 |
| 1107 | 0.113 |
| 1108 | 0.089 |
| 1113 | 0.053 |
| 1109/1 | 0.008 |
| 1109/2 | 0.004 |
| 1114/1 | 0.073 |
| 1635 | 0.425 |
| 1644 | 0.085 |
| 1646, 1647 | 0.032 |
| 1645 | 0.016 |
| 1650/3 | 0.291 |
| 1650/1, 1650/2 | 0.242 |
| 814/1, 814/2, 814/3, 814/4, 836 | 0.012 |
| 93, 94, 95, 96, 97 | 0.016 |
| योग 43 | 4.052 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बरदुली वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 सितम्बर 2002

क्रमांक 610/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-भोथिया, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.441 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 13 | 0.085 |
| 14 | 0.089 |
| 16 | 0.077 |
| 15 | 0.089 |
| 17/1 | 0.012 |
| 17/2 | 0.012 |
| 17/4 | 0.048 |
| 18/4 | 0.004 |
| 35/5 | 0.028 |
| 39/2 | 0.093 |
| 38/1 | 0.048 |
| 38/2 | 0.044 |
| 36/2 | 0.080 |
| 26/2 | 0.028 |
| 27 | 0.061 |
| 31/1 | 0.036 |
| 31/2 | 0.008 |
| 29, 30 | 0.073 |
| 34 | 0.012 |
| 91/2 | 0.057 |
| 91/1 | 0.198 |
| 180/2 | 0.117 |
| 180/9 | 0.037 |
| 92/5 | 0.004 |
| 180/11 | 0.101 |
| योग 24 | 1.441 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भुतिया माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 सितम्बर 2002

क्रमांक 611/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-बंदोरा, प. ह. नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-12.884 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 1154/2,3,5 | 0.414 |
| 1155/1,2 | 0.319 |
| 1156/1 | 0.162 |
| 1157/2 | 0.199 |
| 1159/1 | 0.222 |
| 1160 | 0.275 |
| 1163 | 0.393 |
| 1164/3 | 0.069 |
| 1169/2,3 | 0.170 |
| 1167 | 0.222 |
| 1168 | 0.210 |
| 1166 | 0.061 |
| 981/2, 4, 5 | 0.304 |
| 980, 984 | 0.639 |
| 979, 985 | 0.324 |
| 982/2 | 0.040 |
| 986/1, 2, 987/1, 2, 3 | 0.332 |
| 998/1 | 0.186 |
| 988 | 0.417 |
| 989/2 | 0.065 |
| 989/3, 969/2, 699, 1000/2 | 0.251 |
| 997 | 0.413 |
| 995 | 0.235 |
| 592/1, 2 | 0.347 |
| 1004 | 0.004 |
| 1005 | 0.008 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 1279/291 | 1.222 |
| 589 | 0.121 |
| 591 | 0.032 |
| 590/1, 2 | 0.190 |
| 634/1, 2 | 0.190 |
| 633/1 से 5 | 0.332 |
| 650 | 0.437 |
| 651 | 0.081 |
| 660/1 | 0.008 |
| 660/2 | 0.129 |
| 661/2 | 0.032 |
| 662 | 0.065 |
| 658 | 0.121 |
| 657 | 0.105 |
| 656, 664 | 0.352 |
| 665 | 0.206 |
| 669 | 0.202 |
| 672/1, 2, 3 | 0.271 |
| 671 | 0.008 |
| 673/1 | 0.080 |
| 674, 827 | 0.141 |
| 675/1 | 0.150 |
| 826/1 | 0.133 |
| 826/2 | 0.133 |
| 825 | 0.049 |
| 824/2, 824/3 | 0.142 |
| 824/1 | 0.024 |
| 823/3 | 0.032 |
| 834/1, 2 | 0.113 |
| 835/2 | 0.089 |
| 835/3 | 0.068 |
| 835/1 | 0.020 |
| 836/1 | 0.271 |
| 838/2, 3 | 0.121 |
| 836/5 | 0.081 |
| 838/1 | 0.186 |
| 846/4, 847 | 0.101 |
| 839 | 0.080 |
| 357, 358 | 0.150 |
| 355, 356 | 0.140 |
| 1170/3 | 0.126 |
| 1170/4 | 0.009 |
| योग 68 | 12.824 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कुरदा वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**मनोज कुमार पिंगुआ**, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.